उत्तराखण्ड शासन
आबकारी अनुभाग
संख्या / / XXIII-1 / 2024–04(01) / 2024
देहरादून दिनांक 21 फरवरी, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड, संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम, 1910 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश 2002) की धारा–40, सपठित उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम–1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या–1 सन् 1904) (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रृत्त) की धारा–21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस सम्बन्ध में विद्यमान नियमों/आदेशों को अधिक्रमित करके उत्तराखण्ड राज्य में देशी/विदेशी मदिरा एवं बीयर की फुटकर बिक्री को विनियमित करने की दृष्टि से वित्तय वर्ष 2024–25 के लिये निम्नलिखित नियम बनाते है :–

उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024–25

1. राजस्व का निर्धारण :–

1.1 देशी/विदेशी मदिरा दुकानों हेतु वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए जनपदवार निम्नवत् राजस्व निर्धारित किया जाता है:–

क0स0	जनपद का नाम	निर्धारित राजस्व (करोड रू0 में) 2024–25
1	नैनीताल	321
2	उधमसिंहनगर	246
3	अल्मोडा	142
4	बागेश्वर	52
5	चम्पावत	75
6	पिथौरागढ	105
7	हरिद्वार	383
8	देहरादून	625
9	टिहरी	125
10	पौडी	145
11	उत्तरकाशी	60
12	रूद्रप्रयाग	66
13	चमोली	92
	योग:–	**2437**

उपरोक्त तालिका में वर्णित जनपद के राजस्व के अनुसार जनपद की देशी एवं विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का राजस्व निर्धारण किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार जनपद के लिए मदिरा की दुकानों हेतु निर्धारित राजस्व में ही जनपद में नई दुकानों का सृजन भी किया जा सकेगा एवं,

(1) वित्तीय वर्ष 2023–24 में जनपद के लक्षय को दृष्टिगत रखते हुए समस्त संचालित मदिरा दुकानों में व्यवथापित राजस्व को वार्षिक आगणन के आधार पर 10 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए विदेशी मदिरा दुकानों तथा 7 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए देशी मदिरा दुकानों का वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिये नवीनीकरण किया जा सकेगा।

(2) नवीनीकरण के पश्चात् अवशेष अव्यवस्थापित देशी/विदेशी मदिरा दुकानों हेतु जनपद के राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष, अवशेष राजस्व को सम्बन्धित मदिरा दुकानों में पुनर्निधारण करते हुए नीति में दी गई प्रकिया के अनुरूप (लाटरी, प्रथम आवक प्रथम पावक एवं अधिकतम ऑफर) मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन राजस्व हित में किया जायेगा।

1.2 मदिरा की दुकानों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–

मदिरा की दुकान हेतु–वर्ष 2024–25 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों की लाईसेंस फीस नियम–1.1 के अनुसार निर्धारित दुकानवार कुल राजस्व के 1% के बराबर निकटतम रूपये 1000/– के पूर्णांक पर निर्धारित की जायेगी।

1.3 मदिरा की दुकानों की न्यूनतम प्रत्याभूत डूयटी का निर्धारणः–

उपरोक्त नियम–1.1 के अर्न्तगत दुकानवार निर्धारित कुल राजस्व में से नियम–1.2 के अर्न्तगत निर्धारित लाईसेंस फीस की धनराशि को घटाकर न्यूनतम प्रत्याभूत डूयूटी निर्धारित की जायेगी।

1.4 खुदरा दुकानों का राजस्व निर्धारण आबकारी अधिनियम 1910 में उल्लिखित फीस की परिभाषा का तात्पर्य खुदरा मदिरा दुकानों के वार्षिक निर्धारित राजस्व से है, जिसमें आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024–25 के नियम 1.2 व 1.3 में उल्लिखित लाइसेंस फीस व न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी सम्मिलित है।

2. देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का व्यवस्थापनः–

2.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 मे संचालित मदिरा की दुकानों के अनुज्ञापी यदि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित राजस्व पर मदिरा दुकान संचालन/नवीनीकरण के लिये इच्छुक है, तो अर्ह आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में मय शपथ पत्र आवेदन करने पर जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

2.2 नवीनीकरण की प्रक्रिया के पश्चात मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन दो चरण की लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा।

2.3 उपरोक्त दोनों चरणों के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों को पूर्ण राजस्व पर प्राप्त करने के इच्छुक आवेदक को जिलाधिकारी के समक्ष आवदेन प्रस्तुत करना होगा तथा जिलाधिकारी प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्धान्त पर दुकान का आवंटन करेंगे।

2.4 उपरोक्त समस्त चरणों के पश्चात अवशेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन

ऑफर आमंत्रित कर जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर आबकारी आयुक्त के माध्यम से प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाएगा, शासन की अनुमति के पश्चात प्राप्त ऑफर पर मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किया जा सकेगा।

2.5 देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु पात्रता :–

देशी/विदेशी मदिरा की खुदरा दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए वार्षिक निर्धारित राजस्व एवं अनुज्ञापन की शर्तों के अधीन किया जाएगा। देशी/विदेशी मदिरा की दुकानें, जो वित्तीय वर्ष 2023–24 में व्यवस्थापित राजस्व पर संचालित हो रही है, उन खुदरा देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का आवेदन वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए किया जा सकेगा।

दुकानों का वर्ष 2024–25 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन नवीनीकरण किया जाएगा–

1. अंतिम व्यपगत मास तक की समस्त देयताएँ बेबाक हों।
2. वर्ष 2023–24 की प्रतिभूति धनराशि जमा एवं सुरक्षित हों।
3. नवीनीकरण हेतु इच्छुक अनुज्ञापी को रु० 100/– के नॉन ज्यूडीशीयल स्टाम्प पेपर पर नोटेराइज्ड शपथ पत्र भी निर्धारित प्रारूप पर देना होगा।

तत्पश्चात उपरोक्त मदिरा दुकानों के नवीनीकरण का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित राजस्व पर उपरोक्त दुकानों के नवीनीकरण हेतु प्रक्रिया निम्नवत रहेगीः–

a) वित्तीय वर्ष 2023–24 के विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के खुदरा अनुज्ञापी सर्वप्रथम निर्धारित प्रारूप पर अपना आवेदन पत्र मय शपथ पत्र संबंधित कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी में प्रस्तुत करेंगे।
b) क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षकों द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच करते हुए वर्तमान अनुज्ञापियों को वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण की संस्तुति जिला आबकारी अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।
c) जिला आबकारी अधिकारी, आबकारी निरीक्षकों की संस्तुति सहित प्राप्त आवेदन पत्रों को सूचीबद्ध करते हुए वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु पूर्व अनुज्ञापी की उपयुक्तता की जाँच राजस्व हित में करते हुए प्रकरण पर अपनी स्पष्ट आख्या सहित जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।
d) जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु विदेशी/देशी मदिरा दुकानों के नवीनीकरण हेतु प्राप्त प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

   नवीनीकरण के संबंध में आबकारी आयुक्त द्वारा राजस्व हित में लिया गया निर्णय अंतिम होगा।
e) आबकारी आयुक्त से अनुमोदन के उपरांत आवेदक को तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा कराना अनिवार्य होगा।
f) वर्ष 2024–25 के लिए संबंधित मदिरा दुकान के नवीनीकरण हेतु निर्धारित राजस्व

का 0.25% की धनराशि या पचास हजार रुपये जो अधिक हो, नवीनीकरण शुल्क लिया जाएगा; जो बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय होगा या ऑनलाइन के माध्यम से राज्य उत्पाद शुल्क के शीर्षक 0039 के उपशीर्षक अन्य प्राप्तियाँ (800) में जमा किया जा सकेगा। नवीनीकरण के अनुमोदन के उपरांत नवीनीकरण शुल्क जमा किया जाएगा।

g) नवीनीकरण के उपरांत गत 02 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। 10 करोड़ या उससे अधिक राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 7 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

h) नियम 3.8 की व्यवस्था नवीनीकृत अनुज्ञापनों पर लागू होगी, उक्त नियम में दी गई व्यवस्था के अनुसार नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में सूचनाएं देनी अनिवार्य है, जो कि निर्धारित प्रारूप में ही स्वीकार्य होंगी।

3. नवीनीकरण के पश्चात अवशेष मदिरा दुकानों/नवसृजित मदिरा दुकानों का आवंटन लॉटरी के माध्यम से कराया जायेगाः–

3.1 नियम 2 के अनुसार जो मदिरा की दुकाने नवीनीकृत नहीं हो पायेंगी, उन मदिरा दुकानों तथा नवसृजित मदिरा दुकानों को उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली 2024–25 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार लॉटरी के माध्यम से व्यवस्थापन कराया जायेगा।

3.2 लाटरी के माध्यम से व्यवस्थापन हेतु निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र मय शपथ पत्र के साथ धरोहर राशि (EMD) के रूप में वर्ष 2024–25 हेतु सम्बन्धित मदिरा दुकान के कुल राजस्व के 2.5% के बराबर धनराशि का बैंक ड्राफ्ट प्रस्तुत करना होगा।

यदि आवेदक तीन से अधिक मदिरा दुकान हेतु आवेदन करना चाहता है, तो आवेदक जिले की तीन आवेदित मदिरा दुकानो हेतु निर्धारित धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट जमा कर आवेदित दुकानो से कम राजस्व वाली जिले की किसी भी अन्य दुकान पर आवेदन कर सकता है।

अन्य दुकानों पर ईएमडी के रूप में बैंक ड्राफ्ट की छाया प्रति लगाई जा सकेगी।

3.3 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ व्यक्तिगत पहचान हेतु स्थायी आयकर लेखा (PAN) संख्या तथा आधार कार्ड की स्वसत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

3.4 आवेदक को आवेदन पत्र के साथ गत 02 वर्ष का आई०टी०आर० प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। 10 करोड़ या उससे अधिक राजस्व की दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 7 लाख तथा 10 करोड़ से कम राजस्व वाली मदिरा दुकान हेतु न्यूनतम वार्षिक आय 5 लाख, विगत वर्ष की आई०टी०आर० प्रमाण पत्र के अनुसार होना अनिवार्य है।

3.5 आवेदक को आवेदन के साथ स्थायी/मूल निवास प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करनी होगी।

3.6 आवेदक को मदिरा दुकान के वित्तीय वर्ष 2024–25 के कुल राजस्व के 15% के बराबर धनराशि का हैसियत प्रमाण पत्र की सत्यापित छायाप्रति आवेदन पत्र के साथ निर्धारित प्रारूप जी–39 में प्रस्तुत करना होगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु जारी हैसियत प्रमाण पत्र जो 31 मार्च 2024 तक वैध हो, की सत्यापित छायाप्रति इस आशय के शपथपत्र के साथ संलग्न की जा सकेगी कि हैसियत प्रमाण पत्र में उल्लिखित संपत्ति खुर्द–बुर्द, बिक्री, हस्तांतरित, दान नहीं की गई है और ना ही अनुज्ञापन की अवधि व आबकारी राजस्व बेबाक होने तक खुर्द–बुर्द, बिक्री, हस्तांतरित, दान नहीं की जाएगी। परंतु प्रतिबंध यह होगा कि इस नीति के नियम 4.2 के अनुसार दुकान आवंटन के पश्चात वर्ष 2024–25 के लिए जारी हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा कर आवंटन की औपचारिकता पूर्ण कर कार्यवाही की जाएगी।

a) हैसियत प्रमाण पत्र के एवज में इसी मूल्य की ई–एफ०डी०आर०/ एफ०डी०आर० जो कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो, स्वीकार की जा सकेगी।

b) यदि किसी आवेदक के पास अचल सम्पति नहीं है, तो वह अपने परिवार के सदस्य/सदस्यों की सम्पत्ति को लाईसेंसिंग प्राधिकारी के नाम बन्धक (Mortgage) कर हैसियत प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है।

c) हैसियत प्रमाण पत्र की राशि में कमी की राशि के एवज में कमी की राशि के बराबर की राशि के एफ0डी0आर0 (नियमानुसार निर्धारित बैंकों से बने हो) जो जिलाधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होंगे, जमा कराये जा सकेंगे।

3.7 पात्रता से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों/अभिलेखो की स्वयं सत्यापित छायाप्रति अनिवार्य रूप से आवेदन पत्र के साथ संलग्न की जाएगी।

3.8 मदिरा दुकान हेतु एकल आवेदक के अतिरिक्त एक से अधिक व्यक्ति अधिकतम तीन सह–आवेदक के रूप में आवेदन कर सकेंगे। एक से अधिक आवेदक होने पर सभी आवेदकों की हैसियत जोडकर गणना की जायेगी। यदि आवेदक/सह आवेदक किसी फर्म आदि का सदस्य है, तो आवेदक को उसका उल्लेख आवेदन पत्र में करना अनिवार्य होगा तथा फर्म आदि के समस्त सदस्य दुकान हेतु आवेदक माने जाएंगे। आबकारी राजस्व हेतु जिम्मेदारी पूर्ण रूप से सभी आवेदकों (सह–आवेदकों सहित) की होगी।

3.9 नवीनीकरण के पश्चात लॉटरी पद्धति एवं आगे के सभी चरणों में देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों के आवंटन हेतु दुकानों के आवेदन हेतु प्रत्येक आवेदन पत्र के साथ रू० 65000/– का बैंक डिमांड ड्राफ्ट, प्रक्रिया शुल्क के रूप में लिया जायेगा, जो कि संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष मे देय होगा, प्रक्रिया शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।

3.10 नियम 3.2 के अन्तर्गत निर्धारित धरोहर राशि उत्तराखण्ड राज्य में स्थित किसी भी अधिसूचित बैंक/राज्य एवं जिला सहकारी बैंक/अरबन को–ऑपरेटिव बैंक अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक से तैयार किये गये बैंक ड्राफ्ट के रूप में संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में देय होगा।

3.11 आवेदन पत्र केवल निर्धारित प्रारूप मय शपथ पत्र, पात्रता की सभी शर्तों हेतु वांछित दस्तावेज एवं डिमांड ड्राफ्ट के साथ स्वीकार्य होगें। आवेदन पत्र को निरस्त/ अस्वीकार्य करने का अंतिम निर्णय जिला अधिकारी की अध्यक्षता में जनपद स्तरीय आवंटन समिति द्वारा लिया जाएगा।

3.12 आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले प्रक्रिया शुल्क तथा धरोहर राशि (EMD) से सम्बन्धित बैंक ड्राफ्ट आबकारी नीति घोषित होने की तिथि से पूर्व के स्वीकार्य नहीं होगें।

3.13 आवेदक/आंवटी को मदिरा की खुदरा दुकान वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु आवंटित की जायेगी और आंवटी निर्धारित राजस्व की देयता हेतु जिम्मेदार होगा।

3.14 प्रदेश के समस्त जनपदों में संचालित मदिरा दुकान के सापेक्ष एक उप दुकान खोले जाने की अनुमति दी जा सकेगी। प्रत्येक उप दुकान का अनुज्ञापन शुल्क मूल मदिरा दुकान के निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क का दुगुना होगा।

प्रतिबन्ध यह रहेगा कि दुकानों के व्यवस्थापन से पूर्व ऐसी उप दुकानों का चयन कर जिलाधिकारी के प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा। (अनुमोदन के उपरान्त भी उप दुकान खोलना अनुज्ञापी हेतु बाध्यकारी नहीं होगा) राजस्व निर्धारण के चार्ट में भी इस बात का उल्लेख किया जायेगा कि किसी दुकान की उप दुकान खोली जा सकती है। उप दुकानों की व्यवस्था उन्ही दुकानों पर लागू होगी जिनका अनुमोदन व्यवस्थापन प्रकिया प्रारम्भ होने से पूर्व ले लिया गया हो।

अगर किसी मदिरा दुकान के सापेक्ष राजस्व हित में दो उप दुकानों की आवश्यकता जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा समझी जाती है, तो ऐसे प्रस्ताव को आयुक्तालय प्रेषित करने की दशा में जिस पर आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। यदि दो जनपदो के मध्य नव सृजित दुकान या उप दुकान की स्थिति एवं स्थान के सम्बन्ध में असहमति बनती है, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जायेगा।

3.15 जनपद हरिद्वार, उधमसिंहनगर तथा नैनीताल में अवैध कच्ची शराब से प्रभावित क्षेत्रों में कच्ची शराब के अवैध व्यवसाय को प्रभावी नियंत्रण/रोकथाम के उद्देश्य से उक्त क्षेत्रों में राजस्व हित में जिला आबकारी अधिकारी नवीन देशी/विदेशी दुकानों का सृजन/उप दुकान की व्यवस्था आवश्यकतानुसार कर सकेंगे।

3.16 उपर्युक्त बिन्दु 3.1 की प्रक्रिया के अनुसार जिन दुकानो का व्यवस्थापन लाटरी के माध्यम से किया जायेगा, जिसके लिए प्रथम चरण की लॉटरी में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य के स्थाई/मूल निवासी पात्र होंगे तथा द्वितीय चरण की लॉटरी के लिए कोई भी भारतीय नागरिक पात्र होंगे।

3.17 **लॉटरी द्वारा आवंटन की प्रक्रिया :–**

1. प्रथम चरण की लाटरी प्रकिया में सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य का स्थाई/मूल निवासी पात्र होगा।
2. प्रथम चरण के पश्चात शेष अव्यवस्थापित मदिरा दुकान के लिए द्वितीय चरण की लाटरी प्रकिया में कोई भी भारतीय नागरिक पात्र होगा।
3. उपरोक्त दोनो चरणो के उपरान्त भी यदि कोई मदिरा दुकान व्यवस्थापित नहीं हो पाती है, तो कोई भी पात्र भारतीय नागरिक जिलाधिकारी के समक्ष निर्धारित राजस्व पर मदिरा

दुकान लेने के लिए आवेदन करता है, तो अन्य औपचारिकताओं के साथ अनुज्ञापन शुल्क का बैंक ड्राफ्ट जमा करने पर जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित मदिरा दुकान का आंवटन प्रथम आवक प्रथम पावक के सिद्वान्त के अनुसार किया जाएगा, परन्तु प्रतिबन्ध यह रहेगा कि उत्तराखण्ड राज्य के बाहर के आवेदक को हैसियत के रूप में केवल राष्ट्रीयकृत बैंक की एफडीआर जमा करनी होगी जो जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी।

3.18 उपरोक्त प्रकिया में कोई भी मदिरा की दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो संबंधित जनपद द्वारा प्रश्नगत दुकान के निर्धारित राजस्व के सापेक्ष सार्वजनिक विज्ञप्ति द्वारा ऑफर आमंत्रित किया जायेगा। अधिकतम ऑफरदाता के पक्ष में दुकान आवंटन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी की आख्या पर प्रदेश के राजस्व हित में शासन स्तर पर निर्णय लिया जाएगा।

उक्त के साथ दिनांक 31 मार्च 2024 तक यदि कोई मदिरा दुकान अव्यवस्थापित रह जाती है, तो इस दशा में व्यवस्थापन में लगे समय दिवसों को छोड़कर वास्तविक संचालित दिवसों हेतु आगणित राजस्व के आधार पर संबंधित मदिरा दुकान के राजस्व का पुनर्निर्धारण किया जाएगा।

3.19 राजस्व हित में वित्तीय वर्ष 2024–25 में पूर्णकालिक व्यवस्थापन होने तक अव्यवस्थापित दुकानों का संचालन दैनिक आधार पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा।

3.20 उपरोक्त समस्त चरणों में लाटरी के माध्यम, प्रथम आवक प्रथम पावक, अधिकतम ऑफर से जो आवेदक चयनित होगा उसे आवेदित दुकान की लाईसेंस फीस तत्काल जमा करना होगा। लॉटरी प्रक्रिया माध्यम से चयन होने पर मौके पर ही तत्काल अनुज्ञापन शुल्क जमा नहीं करने वाले आवेदक का चयन निरस्त माना जायेगा तथा उसके द्वारा जमा की गई धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी और उसी समय प्रश्नगत दुकान का आवंटन शेष आवेदकों से लाटरी प्रकिया के माध्यम से पुनः चयन किया जायेगा। उक्त प्रकिया तब तक जारी रहेंगी जब तक दुकान का आंवटन सम्पन्न न हो जाये। लाटरी/चयन प्रकिया के समय आवेदक या उसका अधिकृत प्रतिनिधि अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेगा। लाटरी/चयन प्रकिया के दौरान किसी आवेदक का चयन होने पर आवेदक या उसके अधिकृत प्रतिनिधि की अनुपस्थिति की दशा में यदि चयन निरस्त होता है, तो उसकी धरोहर राशि जब्त कर ली जाएगी जिसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगा।

3.21 एक आवेदक/सह आवेदक को राज्य में अधिकतम तीन मदिरा की दुकानें ही आवंटित की जा सकेंगी। यदि किसी आवेदक/सह आवेदक को राज्य में उपरोक्तानुसार मदिरा दुकानें आवंटित हो जाती है, तो वह राज्य की अन्य मदिरा दुकान आवंटन के लिए पात्र नहीं होगा। आवेदक को अधिकतम तीन मदिरा दुकानें आवंटित हो जाने पर अन्य मदिरा दुकानों हेतु उसके द्वारा किये गये आवेदन को स्वतः निरस्त माना जायेगा।

3.22 समस्त आवंटन प्रक्रिया के स्थल एवं चयनित अनुज्ञापी द्वारा की जाने वाली समस्त औपचारिकताओं की समस्त कार्यवाहियाँ सी0सी0टी0वी0 कैमरे (With DVR) एवं विडियो कैमरा (Hand Held) की निगरानी में किया जाएगा तथा इसकी रिकॉर्डिंग का अनुरक्षण किया जाना अनिवार्य होगा। उक्त पारदर्शी प्रक्रिया को सुनिश्चित किए जाने का

उत्तरदायित्व जिला आबकारी अधिकारी का होगा। आवेदकों की उपस्थिति का रिकॉर्ड कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा अनुरक्षित किया जाएगा।

4. **मदिरा दुकान हेतु निर्धारित औपचारिकताएँ**

चयनित आंवटी/अनुज्ञापी को निम्न निर्धारित औपचारिकताएँ उनके सम्मुख निर्धारित दिवसों के भीतर पूर्ण नहीं करने पर उसको आवंटित मदिरा दुकान का आवंटन अनुज्ञापी के जोखिम पर उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा की खुदरा बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 यथा संशोधित के अन्तर्गत निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी तथा आवंटी द्वारा जमा किये गये समस्त धनराशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर सम्बन्धित दुकान का आवंटन पुनः निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगाः–

4.1 आवेदक के चरित्र प्रमाण पत्र की मूल प्रति चयन की तिथि से 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत की जायेगी।

4.2 अनुज्ञापी को मदिरा की दुकान के आवंटन के 30 दिवस के भीतर वर्ष 2024–25 के लिए जारी हैसियत प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करना अनिवार्य होगा।

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा हैसियत प्रमाण कार्यालय में जमा होने के पश्चात 15 दिवस के भीतर हैसियत प्रमाण पत्र में उल्लिखित संम्पत्ति को अनुज्ञापन अवधि एवं देयता के बेबाक होने तक जिलाधिकारी के आदेशो से विभाग के पक्ष में फ्रीज कराया जाएगा।

4.3 प्रथम प्रतिभूति की धनराशि को दिनांक 07.04.2024 तक नकद एवं द्वितीय प्रतिभूति नकद अथवा ई– बैंक गारंटी/बैंक गारंटी के रूप में, जो उत्तराखण्ड राज्य में स्थित बैंको द्वारा ही जारी की गयी हो अथवा ई–एफ०डी०आर०/एफ०डी०आर० के रूप में 30.04.2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा। प्रथम व द्वितीय प्रतिभूति पृथक–पृथक कुल वार्षिक न्यूनतम गारण्टेड अभिकर के 1/12 भाग के बराबर होगी। एफ०डी०आर० जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी।

नोट–यदि वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु किसी मदिरा दुकान का व्यवस्थापन वित्तीय वर्ष 2023–24 की समाप्ति से पूर्व नही हो पाता है तो आगामी वित्तीय वर्ष में मदिरा दुकान की प्रथम प्रतिभूति की धनराशि मदिरा दुकान के आंवटन के 07 दिवस के भीतर तथा द्वितीय प्रतिभूति 30 दिवस के भीतर पूर्व की भांति जमा करना अनिवार्य होगा।

4.4 मदिरा दुकानों के ऐसे अनुज्ञापी जिनके द्वारा निर्धारित दोनों प्रतिभूतियाँ तथा हैसियत प्रमाण पत्र कार्यालय में जमा कराया जा चुका है, ऐसी स्थिति में सम्बन्धित अनुज्ञापियों द्वारा निर्धारित मासिक अधिभार विलम्ब से जमा करने की स्थिति में मदिरा दुकान के अनुज्ञापन के निरस्तीकरण के सम्बन्ध में लाईसेन्स प्राधिकारी/जिलाधिकारी 60 दिवस की अवधि के अन्दर राजस्व हित में निर्णय कर सकेंगे।

4.5 संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 38–ए के प्राविधानानुसार विलंब से जमा समस्त राजस्व देयताओं (अधिभार सहित) पर ब्याज का आगणन किया जाएगा।

वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं आगामी वर्ष में जनपदों द्वारा लाइसेंस फीस, प्रथम प्रतिभूति, द्वितीय प्रतिभूति तथा अधिभार पर ब्याज का आगणन संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम

1910 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड) की धारा 38–ए के प्राविधानानुसार किया जाएगा। यदि संबंधित अनुज्ञापियों से अधिक ब्याज की वसूली की गई है, तो उसे अनुज्ञापी की देयताओं के सापेक्ष समायोजित किए जाने व प्रतिदाय का निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिया जाएगा।

5 **देशी मदिरा**

5.1 देशी मदिरा पर रू० 25/– प्रति ए०एल० की दर से उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) देय होगी।

5.2 देशी मदिरा दुकानों में 36 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार शराब या 25 प्रतिशत v/v तीव्रता की मसालेदार एवं सादा शराब की आपूर्ति की जायेगी।

5.3 देशी मदिरा की 36% v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी निम्न प्रकार रहेंगीः–

क्र०सं०	एम0जी0डी0 (प्रति बल्क लीटर) (रू0 में) 36%v/v
	वर्ष 2024–25
01	290

25%v/v तीव्रता पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी समानुपातिक आधार पर ली जायेगी।

5.4 मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 5.3 के अनुसार निर्धारित प्रति लीटर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर खुदरा दुकानवार मदिरा की निकासी बल्क लीटर में माह में प्राप्त की जा सकेगी। देशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) देय होगा।

5.5 प्रदेश में देशी मदिरा की बिक्री कांच की बोतल, अद्धे एवं पव्वे के अतिरिक्त 200 ml धारिता के टैट्रा पैक/कांच बोतल में भी अनुमन्य की जायेगी, जिसके सम्बन्ध में राज्य के राजस्वहित में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमति प्रदान की जा सकेगी। राज्य की आसवनियों द्वारा अन्य राज्यों में निर्यात हेतु टेट्रा पैक/काँच/पेट बोतल आदि श्रेणियों में देशी मदिरा की भराई की जा सकेगी।

5.6 प्रदेश की मदिरा दुकानों में मदिरा का अंतरण जनपद के भीतर जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से 50 रुपये प्रति पेटी शुल्क देकर तथा अंतरजनपदीय दुकानों के मध्य 100 रुपये प्रति पेटी शुल्क देकर आबकारी आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा परंतु प्रतिबंध यह होगा कि उक्त अंतरण से आबकारी राजस्व की किसी प्रकार की कोई क्षति ना हो।

विदेशी/देशी मदिरा के अन्तर्जनपदीय/जनपद के बाहर, जनपद के अंदर निर्धारित कोटे के सापेक्ष अंतरण की अधिकतम सीमा कोटे/अधिभार के 10% तक अनुमन्य होगी।

5.7 खुदरा देशी मदिरा दुकानों में समुद्र आयातित बीयर की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी। भारत में विनिर्मित बीयर की बिक्री अनुमन्य होगी। देशी मदिरा दुकानों मे वाइन तथा आर०टी०डी० की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।

5.8 राज्य में देशी मदिरा ब्रांड का नाम स्थानीय फलों के नाम पर रखे जाएंगे जैसे– माल्टा, कीनू, काफल, लीची, खुमानी, आडू आदि पर रखे जाएंगे। देशी मदिरा में स्थानीय फलों के गुणवत्तायुक्त स्वाद हेतु अर्क, तत्व, सार आदि का समावेश किया जाना अनुमन्य होगा।

6 **विदेशी मदिरा**

6.1 विदेशी मदिरा पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार रहेगीः–

विदेशी मदिरा की भरी बोतलों के मामले में उत्पाद शुल्क की दर ई०डी०पी० वार निम्नवत रहेगीः–

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
		2024–25
1	रू0 50.00 तक	355
2	रू0 50.01 से रू0 75.00 तक	392
3	रू0 75.01 से रू0 110.00 तक	455
4	रू0 110.01 से रू0 125.00 तक	495
5	रू0 125.01 से रू0 150.00 तक	540
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	550
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	600
8	रू0 500.01 से रू0 900.00 तक	625
9	रू0 900.01 से अधिक	635

6.2 अन्य मामलों में विदेशी मदिरा के उत्पाद शुल्क की दर रू० 350/–प्रति अल्कोहलिक लीटर (ए०एल०) रहेगी।

6.3 विदेशी मदिरा की खुदरा दुकान हेतु निकासी पर न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी (एम0जी0डी0) की गणना हेतु दरें प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य के आधार पर होगी,

परन्तु यह और कि अद्धा तथा पव्वा की प्रति पेटी ई0डी0पी0 बोतल की तुलना में क्रमशः रू0 10/– तथा रू0 20/– की सीमान्तर्गत होने की स्थित में एक ही ब्राण्ड की बोतल, अद्धा एवं पव्वा पर निर्धारित एम0जी0डी0 की दर बोतल की ई0डी0पी0 के आधार पर समान रखी जायेगी व एक्साईज ड्यूटी की गणना वास्तविक स्लैब के आधार पर की जायेगी। अन्य धारिता की बोतलों की एमजीडी की गणना समानुपातिक आधार पर होगी।

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	एमजीडी प्रति बोतल (रू0 में)
		2024–25
1	रू0 50.00 तक	197
2	रू0 50.01 से रू0 75.00 तक	226
3	रू0 75.01 से रू0 110.00 तक	252
4	रू0 110.01 से रू0 125.00 तक	275
5	रू0 125.01 से रू0 150.00 तक	291
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	305
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	350
8	रू0 500.01 से रू0 900.00 तक	412
9	रू0 900.01 से अधिक	525

6.4 (a) विदेशी मदिरा दुकान की निर्धारित न्यूनतम मासिक प्रत्याभूत ड्यूटी में बिन्दु संख्याः 6.

3 के अनुसार निर्धारित प्रति बोतल न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि से भाग देकर खुदरा दुकानवार मदिरा की निकासी बोतलों में माहवार प्राप्त की जा सकेगी।

(b) गढ़वाल मण्डल के जनपद देहरादून तथा हरिद्वार तथा सम्पूर्ण कुमायूं मण्डल के जनपदों में स्थित खुदरा विदेशी मदिरा दुकानों में रुपये 197 एमएमजीडी वाली विदेशी मदिरा के अद्धा व पव्वा की बिक्री अनुमन्य नहीं होगी।

6.5 विदेशी मदिरा के अतिरिक्त उठान पर सम्पूर्ण न्यूनतम प्रत्याभूत अभिकर (एम0जी0डी0) देय होगी।

6.6 विदेशी मदिरा की खुदरा दुकान पर निर्धारित शर्तों के अधीन एफ०एल०–5 डी० लाईसेंसी द्वारा दुकान की चौहद्दी से लगे परिसर में मदिरा उपभोग की व्यवस्था अनिवार्य रूप से करनी होगी, जिसके लिए एफ०एल०–5 ई० लाईसेंस (कैंटीन) लेना होगा। एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 15 प्रतिशत के बराबर होगी, यदि लाइसेंसी कैंटीन में मोटे अनाज विशेष तौर पर पर्वतीय अंचल में पैदा होने वाले मोटे अनाज मँडुवा, झँगोरा, कोदा, काला भट आदि तथा स्थानीय फल कीनू, माल्टा, काफल, सेब, नाशपाती, तिमूर, आड़ू, पहाड़ी खीरा, पुलम इत्यादि फलों को और इनसे बने भोज्य पदार्थों को उपभोक्ताओं को परोसेगा तब एफ०एल०–5 ई० की लाईसेंस फीस दुकान की लाईसेंस फीस के 10 प्रतिशत के बराबर जमा करने पर कैंटीन का संचालन किया जा सकेगा। इसके लिए लाइसेंसी स्वयं या अपने किसी प्रतिनिधि या अन्य किसी अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से मदिरा के उपभोग के लिए उच्च गुणवत्ता युक्त नाश्ता, भोजन के परोसने की सुविधा से सुसज्जित कैंटीन खोलेगा। जो अनुज्ञापी देशी, विदेशी मदिरा दुकान के अहाते में मोटे अनाज जैसे मँडुवा, झँगोरा, कोदा, काला भट, पर्वतीय अंचल के फल व उनसे बने उत्पाद को परोसेगा और 31 मार्च 2025 तक राजस्व की देयताएं बेबाक होने पर कैन्टीन/अहाता के अनुज्ञापन शुल्क में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

6.7 उत्तराखण्ड राज्य में बिक्री हेतु विदेशी मदिरा के पव्वे जिनकी धारिता 180 ml तथा 200 ml हो सकेगी की भराई एवं बिक्री टेट्रा पैक/स्टील केन/हिपएस्टर पैक (hipster pack)/काँच बोतल में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमन्य की जा सकेगी।

6.8 उत्तराखण्ड राज्य से निर्यात हेतु विदेशी मदिरा की भराई टेट्रा पैक/स्टील केन/हिपएस्टर पैक (hipster pack)/पेट बोतल में आबकारी आयुक्त द्वारा अनुमन्य की जा सकेगी।

7. **<u>प्रदेश में बीयर की दुकानों का सृजन व व्यवस्थापनः–</u>**

7.1 राज्य में बीयर की दुकानों के सृजन की अनुमति नहीं होगी।

7.2 खुदरा विदेशी मदिरा की दुकानों से पूर्व की भांति बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की बिक्री की जा सकेगी।

8. **<u>बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर उत्पाद शुल्क, एम0जी0डी0 तथा एसेसमेंट फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती हैः–</u>**

8.1 संदेय उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) की दर पाँच प्रतिशत (5% v/v) तक तथा 5 प्रतिशत से अधिक एल्कोहल तीव्रता की बीयर पर निम्नानुसार रहेगीः–

क्र० सं०	बीयर का प्रकार	उत्पाद शुल्क (एक्साईज ड्यूटी) प्रति बल्क लीटर में
		2024–25
1	Mild Beer (upto 5% v /v)	42
2	Strong Beer (Above 5% v /v)	69

वाईन तथा आर०टी०डी० पर भी आबकारी उत्पाद शुल्क बीयर के समतुल्य देय होगा।

8.2 **बीयर/वाईन/आर०टी०डी० की निकासी पर देय एम०जी०डी०:–**

बीयर, वाईन एवं आर0टी0डी/एल0ए0बी0 की निकासी पर 25 रूपये प्रति बोतल (650 ml) न्यूनतम गारण्टीड अभिकर लिया जायेगा तथा अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर न्यूनतम गारण्टीड अभिकर देय होगा जो माह की एमजीडी में सम्मिलित रहेगा।

8.3 बीयर/वाईन/आर0टी0डी0 की निकासी पर एसेसमेंट फीस प्रति बल्क लीटर निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:–

क्र० सं०	विवरण	2024–25
1	5 प्रतिशत तीव्रता तक की बीयर/आर0टी0डी0 पर प्रति बल्क लीटर एसेसमेंट फीस की दर	रू0 47/–
2	8 प्रतिशत तीव्रता तक की बीयर/आर0टी0डी0 पर प्रति बल्क लीटर एसेसमेंट फीस की दर	रू0 55/–
3	वाईन पर प्रति बल्क लीटर एसेसमेंट फीस की दर	रू0 40/–

9 **प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में विदेशी मदिरा/वाईन की बिक्री:–**

9.1 प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में स्थित मदिरा की दुकानों में समुद्रपार से आयातित बीयर, वाईन, आर०टी०डी० एवं विदेशी मदिरा की ₹ 400 प्रति बोतल ई०डी०पी० से अधिक ई०डी०पी० की बोतलो की बिक्री अनुमन्य होगी। प्रदेश में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में भारत में विनिर्मित बीयर, वाईन एवं आर०टी०डी० की बिक्री 650 ml धारिता में MRP ₹ 215 से अधिक व 500 ml धारिता में ₹ 165 से अधिक में अनुमन्य होगी।

9.2 प्रदेश के जनपद देहरादून की मसूरी, कालसी तथा चकराता तहसील, जनपद नैनीताल की नैनीताल, बेतालघाट, धारी व कौश्याकोटोली तहसील तथा अन्य 09 पर्वतीय जनपदों में मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर में मदिरा बिक्री का अनुज्ञापन शुल्क रू0 5 लाख (पाँच लाख)/दुकान का न्यूनतम क्षेत्रफल 400 वर्ग फुट तथा राज्य के अन्य स्थानों में रू0 18 लाख (अठारह लाख) प्रतिवर्ष एकमुश्त या त्रैमास के समानुपातिक किश्त के रूप में ली जाएगी।

नोट–

1– मैदानी क्षेत्रों में दुकान के न्यूनतम क्षेत्रफल के संबंध में यदि शिथिलता **की**

आवश्यकता हो तो आबकारी आयुक्त निर्णय ले सकेंगे।

2— वर्तमान में संचालित विदेशी मदिरा दुकान (एफएल—5डी), मॉल्स (एफएल—5एम) /डिपार्टमेन्टल स्टोर (एफएल—5डीएस) के 800 मीटर की सड़क मार्ग दूरी से कम पर नवीन अनुज्ञापन जारी नहीं किए जाएंगे।

9.3 मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर हेतु निकासी की व्यवस्था – मॉल्स/डिपार्टमेन्टल स्टोर के लिए, एफ0एल0 5 डी हेतु निर्धारित एम०जी०डी० का 50 प्रतिशत धनराशि एम०जी०डी० मद में जमा करने पर जिला आबकारी अधिकारी द्वारा सेक्टर/क्षेत्र के भीतर मदिरा दुकानों के लिए परमिट जारी किया जायेगा, जिसके सापेक्ष निर्दिष्ट विदेशी मदिरा दुकान से आपूर्ति हेतु जिला आबकारी अधिकारी की अनुमति से एफ0एल0 36 पास क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।

एफ0एल0—5 डी०एस०/5 एम० द्वारा वांछित मदिरा स्टॉक सेक्टर/क्षेत्र के भीतर मदिरा दुकानों पर उपलब्ध ना होने संबंधी आख्या आबकारी निरीक्षक से प्राप्त होने पर जिला आबकारी अधिकारी जनपद की किसी भी विदेशी मदिरा दुकान से आपूर्ति हेतु आदेश जारी सकेंगे।

एफ0एल0—5 डी०एस०/5 एम० अनुज्ञापनों के नवीनीकरण का शुल्क रुपये 50000 (रुपये पचास हजार) होगा, जो निर्धारित लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगा। एफ0एल0—5 डी०एस०/5 एम० अनुज्ञापनों के नवीनीकरण जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति उपरांत लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा।

9.4 प्रदेश के हवाई अड्डा/एयरपोर्ट पर संचालित एफ०एल०—5 ए०एस० अनुज्ञापन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया से अनुबंध के अनुरूप मदिरा ब्राण्डों की बिक्री कर सकेगा।

10. **मदिरा दुकानों/बार, मॉल/डिपार्टमेन्टल स्टोर से मदिरा/बीयर की बिक्री की समय अवधिः—**

10.1 राज्य में देशी/ विदेशी मदिरा की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। अर्न्तराज्य सीमा के 10 किमी की सीमा में स्थित मदिरा की दुकानें रात्री 12:00 बजे तक खोली जा सकेगी।

10.2 राज्य में एफ०एल०—5एम/डी०एस० मदिरा की दुकानों के खुलने का समय प्रातः 09:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा।

10.3 राज्य में संचालित बारों के खुलने का समय प्रातः 11:00 से रात्रि 11:00 बजे तक रहेगा। बार अनुज्ञापियों को प्रतिवर्ष प्रति घंटा एक लाख अतिरिक्त शुल्क वर्ष या वर्ष के भाग के लिए जमा कर अतिरिक्त समय तक बार संचालन की अनुमति जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति पर आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी।

11. **मदिरा के अवशेष स्टॉक के निस्तारण के सम्बन्ध मेंः—**

11.1 वित्तीय वर्ष 2023—24 के अनुज्ञापी जिन्होनें वर्ष 2024—25 के निर्धारित राजस्व पर दुकान का नवीनीकरण निर्धारित प्रकिया के अनुसार कराया है, उन अनुज्ञापियों की मदिरा दुकान में दिनांकः 31 मार्च, 2024 को अविकित अवशेष स्टॉक आगामी वित्तीय वर्ष 2024—25 हेतु

स्वीकृत एम०आर०पी० पर बिक्री के लिए अनुमन्य होगा, उक्त स्टॉक पर कोई अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।

यदि दुकान का व्यवस्थापन नवीनीकरण के माध्यम से नहीं होता है, तो अवशेष मदिरा स्टॉक का हस्तान्तरण आपसी सहमति के आधार पर नये अनुज्ञापी को हस्तान्तरित किया जा सकता है, परन्तु नये अनुज्ञापी को देय एम०जी०डी० व अन्य देय राजस्व जमा करना होगा, जो माह में तय एम०एम०जी०डी० में सम्मिलित होगा।

11.2 यदि नया अनुज्ञापी नियम–11.1 के अनुसार अवशेष स्टॉक को हस्तान्तरित नहीं करना चाहता है, तो अवशेष स्टॉक का निस्तारण उत्तराखण्ड आबकारी (देशी मदिरा/विदेशी मदिरा व बीयर की खुदरा बिक्री के अनुज्ञापनों का व्यवस्थापन) नियमावली, 2001 (यथासंशोधित) के अनुसार किया जायेगा। उक्त कार्यवाही वित्तीय वर्ष के 15 अप्रैल तक जिला आबकारी अधिकारी द्वारा की जा सकेगी, तदपश्चात 30 अप्रैल तक आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा।

11.3 एफएल 5 एम/डीएस तथा बार अनुज्ञापन में वित्तीय वर्ष 2023–24 के अवशेष स्टाक पर वित्तीय वर्ष 2024–25 की एमजीडी के अन्तर की धनराशि देय होगी।

11.4 वित्तीय वर्ष 2023–24 के ऐसे अनुज्ञापी जिन्होने अपनी मदिरा दुकानों का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु करवाया हो, उस अनुज्ञापी को विगत वर्ष (वर्ष 2023–24) के जमा किये गये ऐसे अधिभार की धनराशि, जिसके सापेक्ष मदिरा का उठान अवशेष रह गया हो, को वित्तीय वर्ष 2024–25 में जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा अवशेष उठान की अनुमति गुणावगुण के आधार प्रदान की जा सकेगी।

11.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 की निकासी की अंतिम तिथि 26 मार्च 2024 के उपरांत एफ०एल०–2/2बी० पर अवशेष स्टॉक को संबंधित कम्पनियाँ अपने बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2/2बी० आदि अनुज्ञापनों पर 31–03–2024 तक अनिवार्य रूप से स्थानांतरित करेंगी और स्थानांतरित मदिरा स्टॉक पर अदा की गई एक्साइज़ ड्यूटी की धनराशि को वापस प्राप्त कर सकेंगे।

11.6 राज्य के भीतर विभिन्न जनपदों के एफ०एल०–2/सी०एल०–2 के मध्य स्टॉक का अंतरण आबकारी आयुक्त की अनुमति से वित्तीय वर्ष मे कभी भी किया जा सकेगा, जिस पर 100 रुपये प्रति पेटी की दर से अतिरिक्त शुल्क जमा करना होगा।

12 **मदिरा का विक्रय मूल्यः–**

मदिरा के विक्रय मूल्य के परिपेक्ष्य में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति को नियंत्रित किये जाने तथा उपभोक्ताओं के हितों को संरक्षित किये जाने के उद्देश्य से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर०टी०डी० का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

12.1 **विदेशी मदिरा, बीयर, वाईन व आर0टी0डी0 का अधिकतम विक्रय मूल्यः–**

विदेशी मदिरा, बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 का अधिकतम खुदरा बिक्री मूल्य निम्न सूत्र से निर्धारित किया जायेगाः–

क0स0	विवरण
1	ई0डी0पी0 (नियम 12.5 के क्रम में आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रू0 10 प्रति 750 एम0एल0 (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पव्वा) तथा बीयर व वाईन/आर0टी0डी0 में (रू0 05 प्रति 650 एम0एल0 की दर से) एवं अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा।
4	एफ०एल०–2 अनुज्ञापन धारक का लाभ 50/– रूपये प्रति पेटी
5	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई0डी0पी0 वार)
	योग
6	वाणिज्य कर (12%)
	योग
7	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम– 2015 की धारा–03 की उपधारा 1,खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
8	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा /बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रू0 01, (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर देय होगा।
9	होलोग्राम/ट्रैस एण्ड ट्रैक शुल्क
10	एफ0एल0–2 पर लागत मूल्य
11	टी0सी0एस0
12	एम0जी0डी0/ऐसेस्मेन्ट फीस (एम0जी0डी0 नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार व तथा ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
13	परमिट शुल्क (समुद्रपार आयातित मदिरा, बीयर, वाईन एवं एल.ए.बी हेतु नियम 40 के अनुसार)
14	लागत मूल्य
15	खुदरा विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 14^{th} point
16	अधिकतम बिक्री मूल्य–विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रू० 10 के गुणांक में, अद्धा व पव्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयॅर/वाईन/आर0टी0डी0 के मामले में रू० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा।

प्रदेश की विदेशी मदिरा दुकानों में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु न्यूनतम बिक्री मूल्य (एम०एस०पी०) भी निर्धारित किया जाता है जो कि नियम–12.1 के बिन्दु संख्याः 14 के अनुसार दुकान की लागत मूल्य के बराबर होगा।

12.2 **देशी मदिरा**

प्रदेश की देशी मदिरा दुकानों में अवांछनीय प्रतिस्पर्धा को रोकने हेतु अधिकतम बिक्री मूल्य (एम०आर०पी०) निम्न सूत्र के आधार पर निर्धारित किया जायेगाः–

क्र० सं०	मद
1	शासन द्वारा स्वीकृत आपूर्ति दर
2	उत्पाद शुल्क (नियम 5.1 के अनुसार)
3	योग (1+2)
4	वाणिज्य कर @ 10%
5	योग (3+4)
6	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम–2015 की धारा–03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के कम में लागू)
7	योग (5+6)
8	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक देशी मदिर की प्रत्येक बोतल पर रू0 01, रू0 01, रू0 01 (अर्थात प्रत्येक बोतल पर रू0 03) का उपकर (सैस) देय होगा।
9	न्यूनतम गारण्टीड अभिकर (नियम 5.3 के अनुसार)
10	योग (7+8+9) (लागत मूल्य)
11	लाभांश @ 20%of 10th point
12	सी० एल० 2 अनुज्ञापन धारक का लाभ (प्रति बोतल रुपये 4, प्रति अद्धा रुपये 2, प्रति पव्वा रुपये 1 व प्रति टेट्रा पैक रुपये 1)
13	अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP)
14	देशी मदिरा का खुदरा मूल्य (रू0 5 के गुणांक में) रू० 05 के गुणांक में यदि अधिकतम खुदरा मूल्य नहीं आता है, तो उसे 05 के गुणांक में अगले स्तर पर निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल शुल्क (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा।

बिन्दु 10 में निर्धारित लागत मूल्य देशी मदिरा की एम०एस०पी० (न्यूनतम बिक्री मूल्य) होगी।

12.3 मदिरा दुकानों पर अवशेष स्टॉक की बिक्री नवीन वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु निर्धारित MRP के स्टीकर चस्पा कर की जायेगी।

12.4 प्रदेश की समस्त देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों से मदिरा की बिक्री पर विक्रेता द्वारा क्रेता को कम्प्यूटर जनित रसीद दी जायेगी एवं दुकानों में स्वैप मशीन भी रखनी अनिवार्य होगी। दुकान पर स्वैप मशीन न रखने एवं बिल न दिये जाने पर न्यूनतम रूपये 5,000/– (पाँच हजार रूपये) प्रशमन/शास्ति आरोपित की जायेगी।

12.5 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच इत्यादि की निर्माता इकाईयों व जिनको आपूर्ति के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त हो के द्वारा देश के किसी दो राज्यों में बिक्री किये जाने वाले ब्राण्डों की बिक्री ही उत्तराखण्ड राज्य में अनुमन्य होगी। उत्तराखण्ड राज्य में आपूर्ति किये जाने वाले ब्राण्डों की ई0डी0पी0 देश के किसी भी राज्य से अधिक नही होगी। इस आशय का शपथपत्र निर्माता इकाईयों द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

यदि राज्यान्तर्गत मदिरा निर्माताओं (आसवनी/बॉटलिंग प्लाण्ट) द्वारा अपने कतिपय ब्राण्डों की बिक्री केवल उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही हैं, तो इकाई द्वारा शपथपत्र प्रस्तुत किया जायेगा, कि उक्त ब्राण्डों को यदि अन्य राज्यों में बेचा जायेगा तो उनकी ई0डी0पी0 उत्तराखण्ड राज्य से कम नहीं रखी जायेगी। प्रतिबन्ध यह है कि राज्य में आसवनी/बॉटलिंग प्लाण्ट अपने ब्रॉण्डस का निर्माण कर उसकी आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में कर सकती है, परन्तु बॉटलिंग प्लॉण्ट यदि किसी अन्य आसवनी की बॉटलिंग कर रही है, तो वह सम्बन्धित आसवनी के ब्रॉण्डस की भराई कर निर्यात अन्य राज्यों हेतु कर सकेंगे, परन्तु राज्य में बिक्री उसी ब्रॉण्ड की कर सकेंगे, जिसकी आपूर्ति नियम–12.5 के प्रथम पैरा में उल्लिखित शर्तो को पूर्ण करता हो।

ओवरसीज मदिरा/बीयर/वाईन की ई0डी0पी0 एक्स कस्टम बाण्ड मूल्य मानी जायेगी, इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा।

वित्तीय वर्ष हेतु किसी आसवक द्वारा अपने ब्राण्ड्स की ई0डी0पी0 में वृद्धि प्रस्तावित की जाती है, तो ई0डी0पी0 की स्वीकृति के सम्बन्ध में आबकारी आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

वित्तीय वर्ष के मध्य में मात्र एक बार ई0डी0पी0 में परिवर्तन की अनुमति उपरोक्त शर्तों के अन्तर्गत दी जा सकेगी।

विदेशी मदिरा उत्पादकों द्वारा विभिन्न ब्राण्डस की ई0डी0पी0 घोषित किये जाने सम्बन्धी दिये गये शपथ पत्र में यदि यह पाया जाता है कि अन्य राज्य में इससे कम ई0डी0पी0 घोषित की गयी, तो प्रत्येक त्रुटिपूर्ण ई0डी0पी0 पर प्रतिभूति जब्त कर ली जायेगी तथा अधिक वसूली गयी ई0डी0पी0 भी जमा करवाई जायेगी के साथ अन्य वैधानिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।

12.6 प्रदेश की समस्त देशी/ विदेशी मदिरा की दुकानों पर शिकायत/निरीक्षण के दौरान अधिकतम खुदरा मूल्य (एम0आर0पी0) से अधिक की बिक्री किये/पाये जाने पर तथा एवं न्यूनतम खुदरा मूल्य (एम०एस०पी०) से कम दर पर बिक्री किये/पाये जाने पर निम्न दण्ड आरोपित किया जायेगाः–

1. प्रथम उल्लंघन पर पचास हज़ार रूपये (50,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
2. द्वितीय उल्लंघन पर पच्चहत्तर हज़ार रूपये (75,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
3. तृतीय उल्लंघन पर एक लाख रूपये (1,00,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।
4. चौथे उल्लंघन एवं उससे अधिक उल्लंघनों पर प्रति उल्लंघन एक लाख रूपये (1,00,000 रूपये) प्रशमन शुल्क/शास्ति आरोपित की जायेगी।

12.7 पुलिस, राजस्व अथवा किसी अन्य विभाग या संस्था द्वारा किसी भी खुदरा मदिरा दुकान, थोक अनुज्ञापन का निरीक्षण बिना लाइसेंस प्राधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जायेगा। आबकारी विभाग के अधिकारियों को छोड़ कर लाइसेंसिंग प्राधिकारी की पूर्वानुमती के पश्चात अन्य प्राधिकारियों द्वारा किए गए प्रत्येक निरीक्षण की अनिवार्यतः वीडियोग्राफी करायी जायेगी।

12.8 राज्य में कार्यरत थोक मदिरा अनुज्ञापनों सी० एल०–2/एफ०एल०–2 में पाई गई गंभीर अनियमितताओं के लिए आयुक्त आबकारी द्वारा निम्न प्रकार दण्ड आरोपित किया जाएगा –

1. प्रथम उल्लंघन होने पर 50 हजार
2. द्वितीय उल्लंघन होने पर 75 हजार
3. तृतीय उल्लंघन होने पर 1 लाख का दण्ड आरोपित किया जा सकेगा तथा तृतीय उल्लंघन के पश्चात इसी क्रम में जुर्माना आरोपित किया जा सकेगा।

12.9 प्रदेश में स्थित आसवनियों व विदेशी मदिरा की भराई हेतु प्रदत्त अनुज्ञापन एफएलएम–3 (बॉटलिंग प्लाण्ट) अनुज्ञापन के अंतर्गत देशी मदिरा का उत्पादन नियमावली के नियम 5.8 के अनुसार केवल उत्तराखण्ड राज्य से अन्य राज्यों के निर्यात हेतु आबकारी आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा। बॉटलिंग प्लांट द्वारा उत्पादित देशी मदिरा की आपूर्ति उत्तराखण्ड राज्य में अनुमन्य नहीं होगी, निर्यात हेतु समस्त शर्ते यथावत रहेंगी। इसके अतिरिक्त पेट बोतलों एवं अन्य मैटेरियल में आसवनियाँ निर्यात के लिए देशी मदिरा की भराई कर सकेंगे।

13. **<u>बार अनुज्ञापनों की लाईसेंस फीस का निर्धारणः–</u>**

13.1

I. बार अनुज्ञापनों के नवीनीकरण शुल्क के रूप में लाइसेंस फीस की 1% धनराशि देय होगी, जो कि अनुज्ञापन शुल्क के अतिरिक्त होगी तथा समस्त औपचारिकतायें पूर्ण होने की दशा में जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति के आधार पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा नवीनीकरण किया जाएगा।

II. एफ० एल०–6 (सम्मिश्र) बार अनुज्ञापन 50 कमरों से अधिक के लिए जनपद देहरादून एवं जनपद नैनीताल में अनुज्ञापन शुल्क 10.00 लाख रुपये तथा जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में अनुज्ञापन शुल्क 08.00 लाख रुपये तथा इसके अतिरिक्त प्रदेश के

अन्य जिलों में अनुज्ञापन शुल्क 05.00 लाख रुपये होगा।

III. 21 कमरों से 50 कमरों तक के लिए जनपद देहरादून एवं जनपद नैनीताल में अनुज्ञापन शुल्क 06.00 लाख रुपये तथा जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में अनुज्ञापन शुल्क 04.00 लाख रुपये तथा इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में अनुज्ञापन शुल्क 03.00 लाख रुपये होगा तथा प्रदेश के समस्त जनपदों में 20 कमरों तक के लिए अनुज्ञापन शुल्क 03.00 लाख रुपये होगा।

IV. एफ० एल०–6 (सम्मिश्र) अनुज्ञापन पाँच सितारा एवं उच्च श्रेणी के होटल के लिए जनपद देहरादून एवं जनपद नैनीताल में अनुज्ञापन शुल्क 10.00 लाख रुपये तथा जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में अनुज्ञापन शुल्क 08.00 लाख रुपये तथा इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में अनुज्ञापन शुल्क 06.00 लाख रुपये होगा।

V. एफ० एल०–6 (सम्मिश्र) अनुज्ञापन चार सितारा श्रेणी के होटल के लिए जनपद देहरादून एवं जनपद नैनीताल में अनुज्ञापन शुल्क 08.00 लाख रुपये तथा जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में अनुज्ञापन शुल्क 06.00 लाख रुपये तथा इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों में अनुज्ञापन शुल्क 05.00 लाख रुपये होगा।

VI. एफ० एल०–6 (सम्मिश्र) अनुज्ञापन तीन सितारा श्रेणी के होटल के लिए जनपद देहरादून एवं जनपद नैनीताल में अनुज्ञापन शुल्क 06.00 लाख रुपये तथा जनपद हरिद्वार एवं ऊधमसिंह नगर में अनुज्ञापन शुल्क 04.00 लाख रुपये तथा इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य अन्य जिलों में अनुज्ञापन शुल्क 03.00 लाख रुपये होगा।

VII. इसके अतिरिक्त एयरपोर्ट/रेलवे स्टेशन बार लाइसेंस एवं विशेष रेल गाड़ियों एवं क्रूज के लिए बार लाइसेंस की व्यवस्था आवश्यकतानुसार आबकारी आयुक्त कर सकेंगे। जिसके लिए अनुज्ञापन शुल्क 05.00 लाख रुपये प्रतिवर्ष या वर्ष के भाग के लिए होगा।

VIII. प्रत्येक बार अनुज्ञापन परिसर में स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी सेवन के विरुद्ध स्टील प्लेटेड चेतावनी बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

IX. माइक्रोब्रिवरी से 05 लीटर तक के ग्राउलर/केग में बीयर की बिक्री अनुमन्य की जाती है। माइक्रोब्रिवरी में स्थापित टैंकों में संचित ड्युटी पेड बीयर की शेल्फ लाइफ अधिकतम 03 दिन होगी।

X. माइक्रो ब्रिवरी के अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किए जाएंगे, शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

13.2 गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कॅम्पनी के द्वारा एफ0एल0–06 (समिश्र) बार अनुज्ञापन संचालन हेतु (Out Source करने पर भी) अनुज्ञापन शुल्क में निर्धारित दरों में 50% की छूट अनुमन्य रहेगी।

13.3 होटल बार अनुज्ञापनों को कमरों में मिनी बार की सुविधा अनुज्ञापी के आवेदन करने पर दी जायेगी तथा रू0 10,000/– (रू0 दस हजार मात्र) अनुज्ञापन शुल्क लिया जायेगा। बार अनुज्ञापन प्राप्त इकाई को अपने परिसर के ही भीतर अन्य किसी भाग जैसे

टेरेस/लॉन आदि में बार काउंटर की स्थापना हेतु आवेदन किए जाने पर लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा प्रकरण का परीक्षण करते हुए इसकी स्वीकृति प्रदान की जा सकेगी। इस हेतु बार अनुज्ञापन की लाइसेंस फीस का 15% या रुपये 1 लाख (रुपये एक लाख रुपये मात्र) जो अधिक होगा शुल्क लिया जाएगा।

13.4 **रेस्त्रां बार/क्लब बार/बियर बार हेतु लाईसेंस फीसः–**

क्र० सं०	बार का प्रकार	लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग हेतु (रू0 में)
1.	रेस्टोरेन्ट बार	रू0 03 लाख
2.	बीयर बार	रू0 1.50 लाख
3.	गढवाल मण्डल विकास निगम एवं कुमांऊ मण्डल विकास निगम या कोई अन्य सरकारी संस्था/सरकारी कॅम्पनी को एफ0एल0–07 बार अनुज्ञापन हेतु शुल्क	उपरोक्त निर्धारित दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।
4.	क्लब बार (1) क्लब बार (100 सदस्यों तक के लिए) (2) क्लब बार (101 से 500 सदस्यों तक के लिए) (3) क्लब बार (500 से अधिक सदस्यों के लिए) (4) राजकीय कार्मिको हेतु प्रदत्त क्लब बार अनुज्ञापन (5) प्रेस क्लब हेतु	 रू0 01 लाख रू0 02 लाख रू0 03 लाख रू0 25 हज़ार रू0 25 हज़ार

बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण 01 वर्ष, 02 वर्ष एवं 03 वर्ष के लिए कराया जा सकेगा। बार अनुज्ञापनों को तीन वर्ष के लिए एकमुश्त अनुज्ञापन शुल्क जमा कर नवीनीकृत किया जा सकेगा एवं इस सम्बन्ध में 10 प्रतिशत की छूट अनुज्ञापन शुल्क पर अनुमन्य होगी।

वित्तीय वर्ष 2019–20 से पूर्व में निर्गत समस्त बार अनुज्ञापनों की औपचारिकताओं का पुनः परीक्षण हेतु प्रकरण जिला आबकारी अधिकारी द्वारा आबकारी आयुक्त को प्रेषित किया जायेगा। आबकारी आयुक्त की अनुमति के पश्चात ही जिलाधिकारी द्वारा बार अनुज्ञापनों का नवीनीकरण किया जा सकेगा, नवीनीकरण शुल्क होटल/रिज़ॉर्ट बार हेतु रुपये 50,000 (रुपये पचास हजार) /रेस्टोरेंट बार हेतु रुपये 10,000 (रुपये दस हजार) तथा अन्य बार लाइसेंस हेतु रुपये 1,000 (रुपये एक हजार) देय होगा जो लाइसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

13.5 ओकेजनल बार परमिटः–

(a) प्रदेश के नगर निकाय क्षेत्रों में स्थित सभी वैडिंग प्वाइन्ट/होटल (जिसमें वैडिंग हॉल/लॉन हो) तथा प्रदेश में संचालित समस्त रिज़ॉर्ट को आबकारी विभाग में प्रतिवर्ष वित्तीय वर्ष के प्रारंभ (अप्रैल माह) में पंजीकरण अनिवार्य होगा जिसका पंजीकरण शुल्क रुपये 10 हजार वार्षिक होगा तथा प्रत्येक समाराहो हेतु प्रत्येक दिवस का रूपये 5 हजार देय होगा।

(b)

1. निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु	रू0 02 हजार मात्र
2. क्लब (वाणिज्यक प्रयोजन हेतु)	रू0 10 हजार मात्र
3. होटल/रेस्टोरेन्ट एवं विशेष प्रयोजन हेतु उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थानों में	रू0 10 हजार मात्र

(c) उपरांकित में यदि आबकारी विभाग की अनुमति के बगैर मदिरा परोसने का मामला संज्ञान में आता है तो संबंधित संपत्ति के मालिक/लीजधारक/किरायेदार के विरुद्ध उल्लंघन के लिए प्रकरण दर्ज किया जाएगा तथा जिला आबकारी अधिकारी के स्तर पर प्रशमित किया जा सकेगा तथा प्रशमन शुल्क रुपये 1,00,000 (एक लाख रुपये) प्रत्येक उल्लंघन पर देय होगा।

13.6 निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु प्रयोजन को छोड़कर अन्य ओकेजनल बार परमिट हेतु समारोह में मदिरा परोसने हेतु सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में प्रतिवर्ष रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी रजिस्ट्रेशन फीस रू0 10000/– (दस हजार) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए देय होगी। ओकेजनल बार अनुज्ञापी वांछित मदिरा निर्दिष्ट दुकान से प्राप्त करेगा जिसका परिवहन पास आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।

13.7 निजी स्थान पर व्यक्तिगत समारोह हेतु सम्बन्धित आवेदक ऑनलाईन एफ०एल०–11 अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेगा।

13.8 यदि कोई एफ0एल0–11 परमिट धारक नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके विरूद्ध आबकारी अधिनियम में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत अधिकतम रुपये 01 लाख अर्थदण्ड आरोपित किया जा सकेगा तथा भविष्य में उसे एफ0एल0–11 परमिट जारी नहीं किया जायेगा।

13.9 बार से बिक्री की जाने वाली मदिरा के पैग की धारिता 30 एम0एल0 व 60 एम0एल0 निर्धारित की जाती है।

13.10 एक दिवसीय बार अनुज्ञापी आबकारी विभाग द्वारा निर्धारित निकटवर्ती मदिरा दुकान से मदिरा का उठान करेगा, जिसका परिवहन पास क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा निकटवर्ती मदिरा दुकान पर वांछित मदिरा उपलब्ध न होने पर जिला आबकारी अधिकारी अन्य दुकान मदिरा उठान हेतु आवंटित कर सकेंगे।

14 बार एवं क्लब बार लाईसेन्स के अन्तर्गत निकासी:–

14.1 समस्त बार अनुज्ञापनों द्वारा विदेशी मदिरा, वाईन, आर0टी0डी/एल0ए0बी0 एवं बीयर की प्राप्ति विदेशी मदिरा दुकानों/ एफ०एल० 5डी०एस० /5एम० से ही की जा सकेगी, जिससे संबंधित निर्गम आदेश जिला आबकारी अधिकारी द्वारा संबंधित बार के नजदीकी दो विदेशी मदिरा दुकानों एवं दो एफ०एल० 5डी०एस०/5एम० के जारी किए जाएंगे।

विदेशी मदिरा दुकानों (एफ०एल० 5डी०) से निकासी आदेश जारी किए जाने से पूर्व संबंधित मदिरा पर देय एमजीडी का 50 प्रतिशत अतिरिक्त रूप से जमा करना होगा। एफ०एल० 5डी०एस०/5एम० से बारों के लिए निकासी आदेश जारी करने से पूर्व मात्र 100 रुपये प्रति परमिट अतिरिक रूप से जमा करने होंगे।

जिला आबकारी अधिकारी द्वारा बार अनुज्ञापन के लिए सेक्टर/क्षेत्र के मदिरा दुकानों /एफ०एल० 5डी०एस०/5एम० हेतु परमिट जारी किया जायेगा, जिसके सापेक्ष दुकानों से बार एवं क्लब बार हेतु एफ0एल0–36 पास आबकारी निरीक्षक द्वारा जारी किया जाएगा।

वांछित मदिरा उपलब्ध न होने की आख्या क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से प्राप्त होने के उपरांत संबंधित बार अनुज्ञापी को जिला आबकारी अधिकारी जनपद की किसी भी विदेशी मदिरा दुकान एफ०एल०–5 डी०एस०/एम० का पास जारी कर सकेगा। ड्राउट बियर की अनुमति बार अनुज्ञापन में पूर्ववत् दी जा सकेगी।

14.2 बार में वाईन ग्लास में परोसी जा सकती है, लेकिन यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि ग्लास में परोसी जाने वाली वाईन को फ्रिज में रखा गया हो तथा उसका उपभोग एक दिवस में कर लिया जाये। यदि किसी कारणवश एक दिवस में उपभोग सम्भव न हो, तो अवशेष वाईन को प्रयोग में नहीं लाया जायेगा तथा नष्ट कर दिया जायेगा।

15 **<u>होटलों एवं रेस्त्रां बारों के अनुज्ञापनों के लिये आवेदकों की अर्हता</u>**:–

15.1 बार अनुज्ञापन प्राप्त करने हेतु आवेदक को तत्सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत शासनादेशों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुरूप, शर्तें पूर्ण करनी होगी।

15.2 एफ0एल0–6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार आवेदन हेतु आवेदक को रू0 50 हज़ार बैंक ड्राफ्ट के रूप मे आवेदन शुल्क जो जिला अधिकारी के नाम प्रतिश्रुत हो जमा करना होगा तथा बार अनुज्ञापन जारी होने पर रू0 50 हज़ार का बैंक ड्राफ्ट आवेदन प्रकिया शुल्क के रुप में समायोजित कर लिया जायेगा, जो लाईसेंस फीस के अतिरिक्त होगा।

15.3 एफ0एल0–6(समिश्र)/7/7ए/7बी/7सी के बार अनुज्ञापन तत्समय प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिलाधिकारी/ जिला आबकारी अधिकारी की रिपोर्ट पर आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किये जायेंगे। उपरोक्त हेतु शासन की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

16 **<u>सीजनल बार/बीयर एवं वाईन बार लाईसेंस (सीजन से तात्पर्य प्रति त्रैमास से है जो वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य होगा)</u>** :–

16.1 सीजनल पर्यटक स्थलों के लिये तीन माह की अवधि के लिये लाईसेन्स प्रचलित नियमों एवं शासनादेशों में उल्लिखित व्यवस्थानुसार जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे

16.2 सीजनल बार हेतु मुख्यतः बार की स्थिति, शान्ति व्यवस्था, होटल/रेस्टोरेन्ट की

पात्रता/भोजन का स्तर, पार्किंग की व्यवस्था, के साथ होटल में 10 कक्ष तक होटल/रिज़ॉर्ट के लिए 50 हजार रुपये प्रति सीजन तथा 11 कक्ष से 25 कक्ष तक होटल/रिज़ॉर्ट के लिए 1 लाख प्रति सीजन तथा 26 कक्ष से अधिक तक होटल/रिज़ॉर्ट के लिए 2 लाख प्रति सीजन अनुज्ञापन शुल्क लिया जाएगा। जिला आबकारी अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि पुरूषों व महिलाओं हेतु अलग–अलग टॉयलेट की व्यवस्था हों।

16.3 उक्त सीजनल बारों को मदिरा की आपूर्ति की व्यवस्था नियमित बार/क्लब बार के अनुसार ही होगी।

16.4 उक्त उल्लिखित रेस्टोरेन्ट बार जिसमें मदिरा व बीयॅर/वाईन परोसी जा सकेगी।

16.5 रेस्टोरेन्ट बार जिनमें केवल बीयर व वाईन परोसी जाएगी उनका अनुज्ञापन शुल्क रू0 25 हजार होगा।

17 **मद्यनिषेध क्षेत्रों में बार की स्वीकृति के सम्बन्ध में:–**

प्रदेश में प्रतिबन्धित व मद्यनिषेध क्षेत्र के रूप में अधिसूचित स्थलों में कोई बार अनुज्ञापन स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

18 **<u>सैन्य कैन्टीनों द्वारा बिक्री पर एफ0एल0–2ए अनुज्ञापन शुल्क , एक्साइज ड्यूटी तथा असेस्मेंट फीस की दरें</u>:–**

18.1 एफ०एल०–2ए अनुज्ञापन (थोक बिक्री) के लिए रू० 25000/–अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

18.2 एक्साइज ड्यूटी की दर निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

18.2 (a) भारत निर्मित विदेशी मदिरा (रम छोड़कर) पर उत्पाद शुल्क (एक्साइज ड्यूटी) की दर निम्नानुसार ई0डी0पी0 मूल्य (प्रति बोतल) वार निर्धारित की जायेगी:–

क्र० सं०	एक्स आसवनी मूल्य (प्रति बोतल)	उत्पाद शुल्क प्रति ए0एल0 (रू0 में)
		2024–25
1	रू0 50.00 तक	355
2	रू0 50.01 से रू0 75.00 तक	392
3	रू0 75.01 से रू0 110.00 तक	455
4	रू0 110.01 से रू0 125.00 तक	495
5	रू0 125.01 से रू0 150.00 तक	540
6	रू0 150.01 से रू0 300.00 तक	550
7	रू0 300.01 से रू0 500.00 तक	600
8	रू0 500.01 से रू0 900.00 तक	625
9	रू0 900.01 से अधिक	635

18.2 (b) रियायती रम पर उत्पाद शुल्क रू0 83.00 प्रति ए0एल0 देय होगा।

18.2 (c) एफ0एल0–9 अनुज्ञापन के अन्तर्गत बीयर/ब्रीजर (आर0टी0डी0) एवं वाईन की बिक्री

पर उत्पाद शुल्क की धनराशि एफ0एल0–5डी के समान देय होगी।

18.3 असेस्मेंट फीस की दरें प्रति बोतल निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र० सं०	मदिरा का प्रकार	असेस्मेंट फीस वर्ष 2024–25
(1)	विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) ई0डी0पी0 रू0 100 तक ई0डी0पी0 रू0 100 से अधिक	 रू0 120.00(**प्रति बोतल**) रू0 175.00(**प्रति बोतल**)
(2)	रम	रू0 70.00(**प्रति बोतल**)
(3)	बियर/वाईन/ब्रीजर (आर0टी0डी0)	एफ0एल0–5डी के समान दर।
(4)	भूतपूर्व सैनिकों/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों हेतु असेस्मेंट फीस दरें निम्न प्रकार होंगी:– (क) विदेशी मदिरा (रम, बियर को छोड़कर) :– (1) ई0डी0पी0 रू० 100 तक (2) ई0डी0पी0 रू० 100 से अधिक (ख) रम (ग) बियर (घ) वाईन (च) ब्रीजर/आर.टी.डी पर	 रू0 100.00(**प्रति बोतल**) रू0 155.00(**प्रति बोतल**) रू0 55.00 (**प्रति बोतल**) रू0 46/– प्रति बी.एल. रू0 39/– प्रति बी.एल. रू0 53/– प्रति बी.एल.

18.4 राज्य में स्थित समस्त अर्द्धसैनिक बलों में कार्यरत/भूतपूर्व अर्द्धसैनिकों को एफ0एल0–9/9ए अनुज्ञापन की सुविधा अनुमन्य होगी।

18.5 एफ0एल0–9/9ए का अनुज्ञापन शुल्क रू0 500/–प्रति अनुज्ञापन निर्धारित की जाती है।

18.6 ड्राउट बियर की अनुमति सैन्य केन्टीनों में पूर्ववत दी जा सकेगी। इसके अतिरिक्त सी0एस0डी0 के माध्यम से सैन्य कैन्टीनों द्वारा 500 एम0एल0, 330 एमएल तथा 275 एमएल धारिता में केन बियर/ब्रीजर/एल0ए0बी0 की बिक्री की जा सकेगी।

19. <u>समुद्र पार से आयातित विदेशी मदिरा के उत्पादों की थोक बिक्री</u> :–

19.1 भारत के बाहर के विदेशी मदिरा निर्माता अथवा उनके अधिकृत विक्रेता या ऐसी इकाई जिसको सम्बन्धित ब्रान्ड के भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, उत्तराखण्ड राज्य में विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच/ आर0टी0डी0 इत्यादि के ब्राण्ड्स FL–2(O) के माध्यम से उत्तराखण्ड में बिक्री कर सकेंगे, जिस हेतु निम्न व्यवस्था रहेगी–

a) राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत खुदरा मदिरा दुकान अनुज्ञापनों को समुद्र पार आयातित विदेश में निर्मित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति के लिए आबकारी थोक अनुज्ञापन FL–2(0) दिया जा सकेगा।

b) उत्तराखंड राज्य में ऐसी संस्था/ईकाई को FL–2(0) दिए जाने की व्यवस्था रहेगी, जिनके पास इस क्षेत्र में कम से कम विगत दो वर्षों से BWFL–2(S) में समुद्र पार आयातित विदेश में निर्मित मदिरा/बीयर/वाइन/ आर०टी०डी० का व्यापार किए जाने का अनुभव हों।

c) ऐसी संस्था/ईकाई का विगत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष न्यूनतम 25 करोड़ का समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० का व्यापार किए जाने का टर्न ओवर हों प्रतिबंध यह रहेगा कि न्यूनतम पात्रता मापदंड को पूरा करने के उद्देश्य से संयुक्त उद्यम भागीदारों का टर्नओवर और अनुभव नहीं जोड़ा जाएगा।

d) अनुबंध निष्पादित करने के लिए कोई भी इकाई FL-2 (0) अनुज्ञापन के लिए आवेदन कर सकती है। संस्थाओं के मध्य संयुक्त उद्यम को आवेदन करने की अनुमति है। संयुक्त उद्यम के संदर्भ में, संयुक्त उद्यम भागीदार फर्म में कम से कम एक को व्यक्तिगत रूप से इस क्षेत्र में समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर के थोक वितरण में 02 वर्ष BWFL–2(S) का अनुभव आवश्यक होना चाहिए।

e) आवेदन करने वाली ईकाई को आवेदन करने से पहले कम से कम 5 समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर आपूर्तक ईकाईयों का अधिकृत पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

f) उत्तराखंड राज्य में आपूर्तक ईकाईयों को FL–2(0) अनुज्ञापन दिया जाएगा जिसका अनुज्ञापन शुल्क 20 लाख रुपये तथा प्रतिभूति की राशि 5 लाख रुपये एवं मदिरा के असीमित ब्रांडों के लिए लेबल पंजीकरण शुल्क के रूप में रुपये 10 लाख देय होगा।

g) राज्य के खुदरा विदेशी मदिरा दुकानों को समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति केवल उत्तराखण्ड राज्य में संचालित FL–2(0) से की जाएगी।

h) उत्तराखंड प्रदेश के समस्त खुदरा विदेशी मदिरा दुकानों को समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की सुचारु आपूर्ति के लिए दोनों मण्डलों में अनुज्ञापन FL–2(0) दिया जा सकेगा तथा FL–2(0) अनुज्ञापनों से प्रदेश के समस्त जनपदों में समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति की जा सकेगी।

i) FL–2(0) अनुज्ञापन के अनुज्ञापी को खुदरा दुकानों को समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति हेतु समस्त ब्रांड उत्तराखण्ड आबकारी पोर्टल पर पंजीकृत कराने होंगे तथा मदिरा की आपूर्ति हेतु निर्गम आदेश तथा परिवहन पास आबकारी पोर्टल से ऑनलाइन ही जारी किया जा सकेगा।

j) ब्रांड आपूर्तक ईकाई को वर्ष 2024–25 के लिए निकटवर्ती राज्य उत्तर प्रदेश, हिमांचल प्रदेश और दिल्ली में से किसी एक राज्य की वर्ष 2023–24 हेतु न्यूनतम ईडीपी के समतुल्य अथवा कम घोषित करने का शपथपत्र लेबल पंजीकरण के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इकाई के शपथ पत्र में उल्लिखित ई०डी०पी० को ही इकाई के ब्राण्ड की ई०डी०पी० माना जायेगा।

k) समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० के विभिन्न ब्रांडों पर FL–2(0)

द्वारा सुरक्षा होलोग्राम तथा प्रत्येक मदिरा बोतल में "केवल उत्तराखण्ड में बिक्री हेतु" का स्टिकर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

l) FL–2(0) अनुज्ञप्ति धारक समुद्र पार आयातित मदिरा/बीयर/वाइन/ आर०टी०डी० के परिवहन/आयात हेतु संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से परिवहन पास निर्गत कराकर मदिरा आयात की जा सकेगी।

m) FL–2(0) अनुज्ञापन पर किसी भी प्रकार की गंभीर अनियमितता व अनुज्ञापन शर्तों का उल्लंघन प्रकाश में आने पर आबकारी नियमों के प्रविधानानुसार निम्नानुसार अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा–

I. प्रथम उल्लंघन पर रुपये 1 लाख का अर्थदण्ड/प्रशमन शुल्क।
II. द्वितीय उल्लंघन पर रुपये 2.5 लाख का अर्थदण्ड/प्रशमन शुल्क।
III. तृतीय अथवा अधिक उल्लंघन पर रुपये 5 लाख का अर्थदण्ड/प्रशमन शुल्क।

n) राजस्व की सुरक्षा के दृष्टिगत FL–2(0) अनुज्ञापन के अन्तर्गत समुद्र पार आयातित विदेश में निर्मित मदिरा/बीयर/वाइन/आर०टी०डी० की आपूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है या व्यवहारिक कठिनाई आती है तो FL–2(0) अनुज्ञापन के सम्बन्ध में निर्णय आबकारी आयुक्त द्वारा लिये जायेंगे।

o) समुद्र पार आयातित मदिरा की एमआरपी एवं FL–2(0) व्यय का निर्धारण पृथक रूप से आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा किया जाएगा।

20. विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन के थोक (एफ०एल०–2 अनुज्ञापन):–

वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को दिया जायेगा, जिससे उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। वित्तीय वर्ष 2024–25 में विदेशी मदिरा/बियर/वाईन/आरटीडी आदि की आपूर्ति एफ०एल०–2 अनुज्ञापनों से विदेशी मदिरा दुकानों को की जाएगी।

नोटः– जो भी उत्तराखण्ड के स्थायी/मूल निवासी एफ०एल०–2 अनुज्ञापन लेने के इच्छुक होंगे, उन्हे उपरोक्त अनुज्ञापन आबकारी आयुक्त से पूर्वानुमति के पश्चात सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा निर्गत किये जायेंगे। एफ०एल०–2 अनुज्ञापन हेतु राज्य का कोई भी स्थायी/मूल नागरिक अर्ह होगा तथा उन्हे निर्माता एवं आपूर्तक ईकाईयों से किसी अधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी। प्रदेश में कार्यरत निर्माता एवं बॉण्डधारक थोक अनुज्ञापी जनपद में कार्यरत एफ०एल०–2 अनुज्ञापन को मदिरा की आपूर्ति करेंगे अर्थात प्रत्येक एफ०एल०–2 धारक निर्माता/थोक आपूर्तक बॉण्ड अनुज्ञापी से मदिरा/बीयर/वाईन/आर०टी०डी० आदि की खरीद कर सकेगा।

अनुज्ञापन प्रत्येक जनपद हेतु पृथक–पृथक देय होगा तथा प्रत्येक एफ०एल०–2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति एक लाख रूपये की एफ०डी०आर० (केवल राष्ट्रीकृत बैंक) के रूप में जमा करनी होगी, जो कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी।

20.1 उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी पात्र स्थायी/मूल निवासी थोक मदिरा अनुज्ञापन (एफ०एल०–2) हेतु आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड देहरादून के समक्ष आवेदन करेगा जहाँ से

अनुमति प्राप्त होने के उपरांत जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा जिला आबकारी अधिकारी की संस्तुति के उपरांत अनुज्ञापन स्वीकृत किया जाएगा। प्रत्येक जिले में एक से अधिक अनुज्ञापन जारी किए जा सकेंगे, परन्तु प्रदेश में कोई भी आवेदक मात्र एक एफ0एल0–2 अनुज्ञापन ही प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए निम्नानुसार लाइसेंस फीस जनपदवार वर्ष या वर्ष के भाग के लिए जमा करने के उपरांत अनुज्ञापन जारी किया जा सकेगा। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन का जनपदवार अनुज्ञापन शुल्क निम्नवत् निर्धारित किया जाता है:–

क्र० सं०	जनपद का नाम	अनुज्ञापन शुल्क
1	देहरादून	10 लाख
2	हरिद्वार	8 लाख
3	ऊधमसिंहनगर	7 लाख
4	नैनीताल	7 लाख
5	चमोली	3 लाख
6	पौड़ी गढ़वाल	5 लाख
7	टिहरी गढ़वाल	5 लाख
8	अल्मोड़ा	5 लाख
9	उत्तरकाशी	3 लाख
10	रूद्रप्रयाग	3 लाख
11	बागेश्वर	2 लाख
12	चम्पावत	3 लाख
13	पिथौरागढ़	3 लाख

20.2 एफ०एल०–2 अनुज्ञापियों को प्रतिभूति के रूप में जिला आबकारी अधिकारी कार्यालय में रुपये 1.00 लाख का FDR जमा कराना होगा जो जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगा वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु एफ०एल०–2 अनुज्ञापन विदेशी मदिरा के निर्माताओं को नही दिए जाएंगे।

20.3 एफ०एल०–2 के थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन पत्र के साथ एक शपथ पत्र (आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र का प्रारूप विभाग द्वारा जारी किया जाएगा) के साथ आवेदक अर्हता के दस्तावेज संलग्न किये जाएंगे, जिसे ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदक द्वारा अपलोड कराया जाएगा।

20.4 थोक अनुज्ञापनों के आवेदन हेतु संक्षिप्त विज्ञप्ति समाचार पत्रों एवं आबकारी विभाग के पोर्टल पर प्रकाशित कराई जाएगी तथा ऑनलाइन के साथ–साथ मैनुअल आवेदन भी किए जा सकेंगे। उक्त अनुज्ञापनों से संबंधित अन्य विवरण कार्यालय आबकारी आयुक्त एवं विभागीय पोर्टल से प्राप्त किए जा सकेंगे।

20.5 उत्तराखण्ड राज्य का कोई भी स्थायी/मूल निवासी FL–2 थोक अनुज्ञापन हेतु आवेदन कर सकेगा जिसके लिए प्रति आवेदन 50 हजार रुपये प्रोसेसिंग फीस 0039 शीर्षक के अन्य प्राप्तियों में ऑनलाइन जमा करायें जा सकेंगे या बैंक ड्राफ्ट जो कि आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड के पक्ष मे देय हो जमा करायें जा सकेंगे। यह प्रोसेसिंग फीस नॉन–रिफंडेबल

होगी, प्रोसेसिंग फीस एवं समस्त प्रपत्रों को जमा करने के उपरांत ही आवेदन पूर्ण माना जाएगा।

20.6 एफ०एल०–2 अनुज्ञापन की स्वीकृति, अर्हता एवं शर्तों को पूर्ण करने के उपरांत आबकारी आयुक्त द्वारा दी जा सकेगी। उपरोक्त स्वीकृति के पश्चात आवेदक गोदाम का पता एवं जियोलोकेशन का सत्यापन जिला आबकारी अधिकारी से करवाकर लाइसेंस फीस एवं सिक्योरिटी मनी तथा अन्य संबंधित दस्तावेज जिला आबकारी आधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा, जिला आबकारी अधिकारी संबंधित क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक से आख्या प्राप्त करने के पश्चात जिला अधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी द्वारा लाइसेंस जारी किया जाएगा।

20.7 एफ०एल०–2 हेतु आवेदन दो लोग संयुक्त रूप से भी कर सकते है। आवेदन के समय आवेदक यह भी स्पष्ट करेगा कि उपरोक्त आवेदन व्यक्तिगत श्रेणी में है अथवा फर्म के रूप में किया जा रहा है।

20.8 अनुज्ञापन हेतु आवेदन के निरस्त, वापस और इस सम्बन्ध में जमा धनराशि की वापसी का अनुरोध मान्य नहीं होगा।

20.9 एफ०एल०–2 में बीयर, वाईन, आर०टी०डी० की बिक्री अनुमन्य की जाएगी।

20.10 बॉण्ड अनुज्ञापनों से सीधे जनपदस्तरीय थोक अनुज्ञापनों को निकासी अनुमन्य होगी। एक वाहन के माध्यम से किसी एक जनपद के एक से अधिक थोक अनुज्ञापनों को एक श्रेणी की मदिरा के पारेषण अनुमन्य होंगे।

20.11 एफ०एल०–2 अनुज्ञापन विभिन्न आपूर्तक निर्माता ईकाईयों के संबंधित जनपद में विगत तीन वर्षों में सर्वाधिक बिक्री किए गए मदिरा ब्राण्डस (Highest Selling Brands) की तथा साथ ही फुटकर अनुज्ञापियों की मांग के अनुरूप उपलब्धता अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेंगे।

21 विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/आर०टी०डी० के बॉण्ड अनुज्ञापनः–

21.1 बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2/2एस०/2डब्ल्यू० अनुज्ञापन विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन/स्कॉच के निर्माता अथवा अधिकृत विक्रेता अथवा ब्रॉण्ड के मालिकाना हक इकाईयों को केवल अपने उत्पाद बेचने के लिए आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

21.2 निर्माता से आशय निर्माता कम्पनी से होगा। ऐसी भारतीय इकाईयाँ जो आयातित ब्राण्ड्स की स्कॉच व्हीस्की, ब्राण्डी, जिन, बियर, वाईन, वोदका इत्यादि की बॉटलिंग भारत में करती है तथा जिन्हें भारत में उक्त की बिक्री करने के पूर्ण अधिकार प्राप्त है अथवा जिन्हें विदेश में निर्मित/बॉटलड विदेशी मदिरा/बीयर/वाईन /स्कॉच को भारत में विक्रय करने के विधिक अधिकार (Legal Rights) प्राप्त है, इन्हें ऐसे ब्राण्ड्स का निर्माता माना जायेगा। तद्नुसार इन्हें राज्य में बिक्री हेतु थोक अनुज्ञापन (बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2/2बी०/2एस० /2डब्ल्यू०) प्रदान किया जायेगा।

21.3 बॉण्ड अनुज्ञापनों /एफ0एल0–1 अनुज्ञापनों की लाईसेन्स फीस का निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा :–

बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2 हेतु – रूपये 10 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 20/– निर्धारित की जाती है।

बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2बी० अनुज्ञापन हेतु – रूपये 7 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 20/– निर्धारित की जाती है।

बी०डब्ल्यू०एफ०एल०–2एस०/2डब्ल्यू० व भारत में निर्मित मदिरा (सिंगल माल्ट/फ्यूजन/व्हिसकी, इत्यादि जिसकी ई0डी0पी0 400 से अधिक हो) अनुज्ञापन शुल्क हेतु – रूपये 01 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रू0 20/– निर्धारित की जाती है।

बी0डब्ल्यू0एफ0एल0–2 डब्ल्यू का अनुज्ञापन शुल्क रू0 1.00 लाख निर्धारित किया जाता है।

एफल0एल0–1 लाईसेंस फीस रू0 5.00 लाख के अधीन रहते हुए प्रति पेटी रु0 10/– निर्धारित की जाती है।

नोट–प्रतिबन्ध यह है कि 12,500 पेटी तक बिक्री के लिए अनुज्ञापन शुल्क केवल रूपये 02 लाख देय होगी एवं 2,500 पेटी तक की बिक्री के लिए रूपये 01 लाख देय होगी।

21.4 विधिवत रूप से अधिकृत विक्रेताओं द्वारा अनुज्ञापन से सम्बन्धित कृत समस्त कार्यवाही हेतु सम्बन्धित निर्माता इकाई उत्तरदायी होगी तथा अधिकृत विक्रेता/प्रतिनिधि द्वारा किया गया प्रत्येक कार्य निर्माता इकाई द्वारा किया गया कार्य माना जायेगा।

21.5 विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन/स्कॉच के थोक अनुज्ञापन (बॉण्ड अनुज्ञापन) हेतु निर्धारित प्रतिभूति की धनराशि रू० 01 लाख रहेगी।

21.6 विदेशी मदिरा के थोक अनुज्ञापी यदि आगामी वित्तीय वर्ष में अपना अनुज्ञापन नवीनीकरण नही कराते है, तो उन्हे वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात अपने थोक अनुज्ञापनों पर संचित मदिरा स्टॉक का निस्तारण कराना होगा। अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अनुज्ञापन के परिसर में संचित मदिरा को आबकारी आयुक्त की पूर्वानुमति से निम्न समिति द्वारा नष्ट करने की कार्यवाही की जायेगी एवं उस पर आने वाले व्यय को सम्बन्धित अनुज्ञापी की प्रतिभूति से वसूल किया जायेगा तथा प्रतिभूति की शेष राशि को राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर लिया जायेगा। विनष्टीकरण की जाने वाली मदिरा हेतु किसी प्रकार के प्रयोगशाला परीक्षण की आवश्यकता नहीं होगी।

1. सम्बन्धित जिला आबकारी अधिकारी	अध्यक्ष
2. सम्बन्धित आबकारी निरीक्षक	सदस्य

22– राज्य में देशी मदिरा की थोक बिक्री हेतु शुल्क का निर्धारणः–

22.1 राज्य में देशी मदिरा की आपूर्ति करने वाली आसवनी को न्यूनतम रू० 10 लाख के अधीन रहते हुए रू० 03 प्रति बल्क लीटर अनुज्ञापन शुल्क देय होगा। आपूर्तक आसवनी को अपने ब्रांडस का पंजीकरण कराना होगा, इस हेतु प्रथम ब्राण्ड का पंजीकरण शुल्क रुपये 05 लाख, द्वितीय ब्राण्ड का पंजीकरण शुल्क रुपये 02 लाख तथा तृतीय ब्राण्ड का पंजीकरण शुल्क रुपये 01 लाख निर्धारित किया जाता हैं।

22.2 राज्य मे देशी मदिरा की आपूर्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को सी०एल०–2 अनुज्ञापन दिए जा सकेगें, जिससे उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। जनपदों में देशी मदिरा के समस्त ब्रांडों की उपलब्धता के दृष्टिगत उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को सी०एल०–2 अनुज्ञापन स्वीकृत किए जा सकेंगे, उन्हें सम्बन्धित निर्माता इकाई से सम्बन्धित जनपद

हेतु सी०एल०–2 अनुज्ञापन संचालन के लिये अधिकार पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा तथा अधिकृत व्यक्ति को आबकारी आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा सी०एल०–2 अनुज्ञापन निर्गत किये जायेंगे।

प्रत्येक जनपद में राज्य की आसवनी का एक थोक अनुज्ञापन (सी०एल०–2) खोला जा सकेगा अर्थात एक आसवनी–एक जनपद–एक आवेदक के सिद्धांत के अनुसार प्रदेश में कोई भी आवेदक मात्र एक सी०एल०–2 अनुज्ञापन प्राप्त कर सकेगा। प्रत्येक सी०एल०–2 अनुज्ञापन के अन्तर्गत राज्य की सम्बन्धित आसवनी द्वारा निर्मित देशी मदिरा की थोक आपूर्ति प्राप्त की जा सकेगी। प्रतिबंध रहेगा कि निर्माता ईकाई जनपद में केवल एक ही व्यक्ति को सी०एल०–2 संचालन हेतु अधिकार पत्र दे सकेगी।

सी०एल०–2 थोक मदिरा अनुज्ञप्तधारी द्वारा की गई अनियमितता के लिए सी०एल०–2 अनुज्ञापी स्वयं जिम्मेदार होंगे। जनपद में सी०एल०–2 अनुज्ञापन शुल्क एवं प्रतिभूति की धनराशि निम्नवत् रहेगी:–

क्र०सं०	जनपद का नाम	अनुज्ञापन शुल्क	प्रतिभूति
1	देहरादून	08 लाख	1.0 लाख FDR
2	हरिद्वार	08 लाख	1.0 लाख FDR
3	ऊधमसिंहनगर	5 लाख	1.0 लाख FDR
4	नैनीताल	5 लाख	1.0 लाख FDR
5	अल्मोड़ा	3 लाख	50 हजार FDR
6	बागेश्वर	2 लाख	50 हजार FDR
7	चम्पावत	2 लाख	50 हजार FDR
8	पिथौरागढ़	2 लाख	50 हजार FDR

नोटः– उपरोक्त अनुज्ञापन शुल्क प्रत्येक जनपद हेतु पृथक–पृथक देय होगा तथा प्रत्येक सी०एल०–2 अनुज्ञापन की प्रतिभूति एफ०डी०आर० (केवल राष्ट्रीकृत बैंक) के रूप में जमा करनी होगी, जो कि सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/लाईसेंस प्राधिकारी के नाम प्रतिश्रुत होगी। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सी०एल०–2 अनुज्ञापन देशी मदिरा के निर्माताओं को नहीं दिया जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2024–25 हेतु सी०एल०–2 अनुज्ञापन केवल उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को ही दिया जायेगा, जिससे उत्तराखण्ड राज्य के स्थायी/मूल निवासियों को रोजगार के अवसर प्राप्त हो सके। विदेशी मदिरा पर देय एफ०एल०–2 व्यय की भांति देशी मदिरा हेतु सी०एल०–2 व्यय भी देय होगा।

22.3 देशी मदिरा का उत्पादन केवल ई०एन०ए० से किया जायेगा। ई०एन०ए० क्रय कर देशी मदिरा भराई की अनुमति केवल सहकारी संस्था द्वारा संचालित आसवनी को अपरिहार्य स्थिति में दी जायेगी।

23– **<u>आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध</u>** में:–

आसवनी, बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना के सम्बन्ध में निम्न व्यवस्था रखी जाती है:–

23.1 पेय मदिरा बनाने हेतु शीरा आधारित आसवनियों की स्थापना के लिए इस प्रतिबन्ध के साथ अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा कि शीरे की व्यवस्था आवेदक इकाई स्वंय

करेगी। ग्रेनबेस्ड आसवनी को पेय मदिरा का निर्माण करने हेतु आसवनी स्थापना के प्रस्ताव प्राप्त होने पर उन्हें अनुज्ञापन देने पर विचार किया जायेगा।

23.2 बाटलिंग प्लान्ट, ब्रुवरी, माईक्रो पब ब्रुवरी, विन्टनरी एवं वाईनरी की स्थापना हेतु सुसंगत आबकारी नीति/नियमावली के अधीन अनुज्ञापन जारी किये जायेंगे।

23.3 आसवनी, ब्रुवरी, विन्टनरी/वाईनरी की स्थापना हेतु अनुज्ञापन शुल्क का निर्धारण निम्नवत् रहेगा–

23.3 (a) पी0डी0–33 (आसवनी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू० 05 लाख, बी–20 (ब्रुवरी की स्थापना) अनुज्ञापन हेतु रू० 03 लाख, एफ0एल0एम0–2 (विदेशी मदिरा के बॉटलिंग प्लाण्ट स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 04 लाख एवं वी–1 (विन्टनरी की स्थापना हेतु) अनुज्ञापन हेतु रू0 5 हजार अनुज्ञापन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

23.3 (b) नियम 23.3 (a) के अन्तर्गत उल्लिखित अनुज्ञापनों द्वारा निर्धारित समय के अन्तर्गत यदि इकाई की स्थापना का कार्य पूर्ण नहीं किया जाता है तथा अनुज्ञापन की समयावधि बढ़ाने हेतु आवेदन किया जाता है, तो नियम 23.3 (a) के अन्तर्गत निर्धारित अनुज्ञापन शुल्क ही लिया जायेगा।

23.3 (c) विदेशी मदिरा के बॉटलिंग हेतु प्रदत्त एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत अनुज्ञापी शासनादेश संख्या 640/XXIII/2016/04 (55)/2012 देहरादून दिनांकः 23, नवम्बर, 2016 में दिये नियमों के तहत अन्य आसवनी के ब्रॉण्डस की ही बॉटलिंग कर सकेगा।

23.4 राज्य में स्थित ब्रुवरी/वाईनरी अनुज्ञापनों के साथ स्थापित रिजोर्ट में आने वाले अतिथियों को सम्बन्धित ब्रुवरी/वाईनरी अनुज्ञापन के भ्रमण तथा ब्रुवरी/वाईनरी में निर्मित बीयर/वाईन के Tasting हेतु परिसर में पृथक से उपभोग कक्ष निर्मित कर सम्बन्धित रिर्जोट के स्वामी के अनुरोध पर Tasting की अनुमति दी जा सकेगी।

23.5 नियम 23.3 (C) के अतिरिक्त आसवनी के ब्रांडस जिनका एक्स आसवनी मूल्य 400.00 से अधिक होगा, उन ब्रांडस की भराई, बॉटलिंग के लिए शासनादेश संख्या 640/XXIII/2016/04 (55)/ 2012 देहरादून दिनांकः 23, नवम्बर, 2016 के प्राविधानों में आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दी जा सकेगी।

23.5 (a) आसवनी की ईकाईयों में सभी श्रेणियों की उच्च गुणवत्ता वाली स्वादिष्ट स्प्रिट/मदिरा जिनका एक्स आसवनी मूल्य 400.00 से अधिक होगा का उत्पादन करने की अनुमति मिलेगी परंतु प्रतिबंध यह होगा कि इसके उत्पादन में उत्तराखण्ड राज्य के प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले वानस्पतिक संसाधनों का उपयोग किया जाएगा।

23.5 (b) आसवनी परिसर में विजिटर सेंटर व सेल की अनुमति हेतु स्थानीय किसानों की उपज पर आधारित भोजन परोसनें की सुविधा उपलब्ध करने पर साइट पर डिस्टिल्ड उत्पाद बेचने के लिए अनुमति दी जा सकेगी जिसके लिए 01 लाख रुपये प्रतिवर्ष अनुज्ञापन शुल्क देय होगा, प्रतिबंध यह होगा कि वह स्वाद के लिए विभिन्न ब्राण्डों के अधिकतम 30–30 ml सैम्पल का स्वाद ले सकेगा और प्रतिआगंतुक को अधिकतम 1500 ml बिक्री कर सकेगा जिसकी अनुमति आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा दी जाएगी।

23.5 (c) आसवनी को कच्चे माल के रूप में उत्तराखण्ड राज्य में उत्पादित विभिन्न कृषि/बागवानी फसल–उपज यथा :– माल्टा, रामबाँस, एप्रीकॉट, पुलम, लीची, अखरोट, आड़ू, सेब, नाशपाती, कीनू, काफल, तिमूर, काली हल्दी, पीली हल्दी, तेजपत्ता, हरड़, बहड़, दालचीनी, दाड़िम–अनार, कचनार, मुलेठी आदि और चाय–कॉफी के अतिरिक्त बुरांश के फूल, ब्रह्मी आदि वनस्पतियों का उपयोग करना अनिवार्य होगा जिससे स्थानीय किसानों को अपनी उपज की बिक्री से किसानों की आजीविका/आर्थिकी को बढ़ावा मिले।

23.5 (d) माल्टा, रामबाँस, एप्रीकॉट, पुलम, लीची, अखरोट, आड़ू, सेब, नाशपाती, कीनू, काफल, तिमूर, काली हल्दी, पीली हल्दी, तेजपत्ता, हरड़, बहड़, दालचीनी, दाड़िम–अनार, कचनार, मुलेठी आदि और चाय–कॉफी के अतिरिक्त बुरांश के फूल, ब्रह्मी आदि वनस्पतियाँ जो कि उत्तराखण्ड में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है का उपयोग कर उत्तराखण्ड में उत्पादित विदेशी मदिरा ब्राण्डों के लिए आसवानियों को एकमुश्त पाँच लाख रुपये लेबल/ब्राण्ड रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा करने के उपरांत एक से अधिक ब्रांडों का रजिस्ट्रेशन अनुमन्य होगा, इन ब्रांडों की बिक्री नियमों के दायरे में उत्तराखण्ड राज्य तथा देश–विदेश में की जा सकेगी।

23.5 (e) प्रदेश के आसवनियों द्वारा उच्च गुणवत्ता वाली स्प्रिट/मदिरा जिनका एक्स आसवनी मूल्य 400.00 से अधिक होगा के उत्पादन एवं लकड़ी के कास्क में परिपक्वता के दौरान परिपक्वता ह्रास की सीमा 8% प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है। इसके अतिरिक्त White Spirit Redistillation के छीजन/ह्रास की सीमा 8% Per Redistillation निर्धारित की जाती है।

23.5 (f) उत्तराखण्ड राज्य में स्थानीय फलों, अनाज आदि पर आधारित माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों की स्थापना की अनुमति दी जा सकेगी। पर्वतीय अंचल के किसानों एवं फल उत्पादकों के फल एवं अनाज की खरीद माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों द्वारा सहकारी समितियाँ, स्वयं सहायता समूह, किसान उत्पादक संगठन (FPO) के साथ–साथ सीधे किसान से की जा सकेगी, जिससे स्थानीय लोगों को आजीविका के संसाधन प्राप्त होंगे।

माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाईयों में 80 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।

23.5 (g) प्रदेश में IMFL के निर्माण से संबंधित आसवनी जिनके पास बॉटलिंग ईकाई भी कार्यरत है, उन सभी ईकाईयों को रुपये 300 प्रति बोतल एक्स आसवनी मूल्य से अधिक के विदेशी मदिरा के निर्माण एवं भराई हेतु ई०एन०ए० की खरीद की अनुमति आबकारी आयुक्त द्वारा दी जाएगी।

23.5 (h) उच्च गुणवत्ता वाली स्प्रिट के निर्माण के लिए मैचूरेशन वेयरहाउस की अनुमति दी जाएगी इसके लिए आबकारी आयुक्त उत्तराखण्ड द्वारा अनुज्ञापन जारी किया जा सकेगा। मैचूरेशन वेयरहाउस के लिए अनुज्ञापन शुल्क रुपये तीन लाख प्रतिवर्ष मैदानी क्षेत्रों में व पर्वतीय क्षेत्रों में एक लाख रुपये प्रतिवर्ष निर्धारित की जाती है वेयरहाउस के लिए लाइसेंस की अन्य शर्तें बॉटलिंग ईकाई के समान होगी।

24 <u>आसवनी/ब्रुवरी/बॉटलिंग प्लाण्ट का अनुज्ञापन शुल्कः–</u>

24.1 आसवनी का पी0डी0–2 अनुज्ञापन शुल्क रू० 276/– प्रति किलो लीटर निर्धारित किया जाता है। उक्त अनुज्ञापन शुल्क केवल पेय योग्य मदिरा पर ही देय होगा।

24.2 आबकारी अधिनियम में आसवनी से सम्बन्धित Rules Regulating Distillery के नियम–4 के क्रम में उल्लिखित रू0 01 लाख की प्रतिभूति को रू0 05 लाख तथा Uttar Pradesh Brewery Rules-1961 के नियम–5 के क्रम में उल्लिखित रू0 20 हज़ार की प्रतिभूति को धनराशि रू0 02 लाख रखा जाता है।

24.3 ब्रुवरी की लाईसेंस फीस वर्ष या वर्ष के भाग के लिए निम्नलिखित निर्धारित की जाती हैः–

(a) अधिष्ठापित क्षमता 5,000 किलो लीटर तक रू0 1.5 लाख (एक लाख पचास हजार)

(b) अधिष्ठापित क्षमता 5,001 से 10,000 किलो लीटर तक रू0 2.5 लाख (दो लाख पचास हजार)

(c) अधिष्ठापित क्षमता 10,000 किलो लीटर से अधिक पर रू0 07.50 प्रति किलो लीटर की दर से अतिरिक्त देय होगी।

24.4 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन का अनुज्ञापन शुल्क रू0 15 लाख न्यूनतम के अधीन रू0 2. 85 प्रति बल्क लीटर की दर से निर्धारित किया जाता है।

24.5 एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन हेतु प्रतिभूति के रूप में जमा की जाने वाली धनराशि को रू0 05 लाख निर्धारित की जाती है।

25. <u>आयात/निर्यात शुल्क</u>

25.1 ई0एन0ए0/आर0एस0 आयात शुल्क रू० 02 प्रति ए0एल0 निर्धारित किया जाता है।

25.2 बन्द बोतलों में विदेशी मदिरा के निर्यात पर शुल्क रू० 1 प्रति ए0एल0 निर्धारित किया जाता है।

26 <u>बोतल भराई अनुज्ञापन एफ0एल0–3ए एवं एफ0एल0एम0–3 हेतु अनुज्ञापन शुल्क/बॉटलिंग शुल्कः–</u>

26.1 व्हिस्की, ब्राण्डी, रम व जिन एवं कम तीव्रता की अल्कोहल ब्रिवरेज की भराई हेतु एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत विदेशी मदिरा की बोतल भराई पर एफ0एल0एम0–3 के समान अनुज्ञापन शुल्क देय होगा।

26.2 एफ0एल0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत आसवक को विदेशी मदिरा की भराई हेतु वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 05 लाख के अधीन बॉटलिंग फीस राज्य मे बिक्री हेतु रू० 31/– प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 1/–प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा तथा देश से बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा पर बॉटलिंग फीस रू० 0.50 प्रति ए0एल0 होगी।

26.3 एफ0एल0–3ए व एफ0एल0एम0–3 अनुज्ञापन के अन्तर्गत एफ0एल0–3बी में विदेशी मदिरा की भराई पर (बाटलिंग हेतु) वर्ष या वर्ष के भाग के लिए न्यूनतम रू० 05 लाख के अधीन राज्य में बिक्री हेतु रू० 31/–प्रति ए0एल0 एवं राज्य के बाहर बिक्री हेतु रू० 1/–प्रति ए0एल0 की दर पर देय होगा तथा देश से बाहर निर्यात की जाने वाली मदिरा

पर बॉटलिंग फीस रू० 0.50 प्रति ए0एल0 होगी।

26.4 एफ0एल0–3 एवं एफ0एल0–3ए अनुज्ञापन के अन्तर्गत ब्रुवरी (यवासवनी) में वर्ष के लिए न्यूनतम रू0 1,25,000/–(रू० एक लाख पच्चीस हजार मात्र) के अधीन बियर पर बाटलिंग शुल्क निम्नानुसार देय होगीः–

क्र०सं०	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क
1	रू0 1.15 प्रति ब0ली0	रू0 1.15 प्रति ब0ली0

26.5 बीयर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगीः–

क्र0सं0	एफ0एल0–3 हेतु बाटलिंग शुल्क	एफ0एल0–3 ए हेतु बाटलिंग शुल्क
1	रू0 1.07 प्रति ब0ली0	रू0 1.07 प्रति ब0ली0

26.6 ब्रीजर के निर्यात पर बाटलिंग/अनुज्ञापन शुल्क निम्नानुसार देय होगीः–

क्र०सं०	**बाटलिंग शुल्क**
01	रू0 1.26 प्रति ब0ली0

27. **<u>लेबल रजिस्ट्रेशन शुल्क की दरें निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है</u>**:–

27.1 विदेशी मदिरा के एक ब्रांड की एक धारिता के समस्त लेबल को एक लेबल मानते हुए प्रति लेबल रू0 1,20,000/– (रुपये एक लाख बीस हजार) रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

27.2 बियर/साईडर/कम तीव्रता की एल्कोहलिक बेवरेज के एक ब्रांड की एक धारिता के समस्त लेबल को एक लेबल मानते हुए प्रति लेबल रू0 80,000/– (रुपये अस्सी हजार) रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

27.3 वाईन के एक ब्रांड की एक धारिता के समस्त लेबल को एक लेबल मानते हुए प्रति लेबल रू0 65,000/– (रुपये पैसठ हजार) रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया जाता है।

<u>नोट</u>:–उपरोक्त दरें सिविल तथा सी0एस0डी0 आपूर्ति दोनों पर लागू होगी।

27.4 बॉण्ड अनुज्ञापन के माध्यम से अन्य देशों से आयातित विदेशी मदिरा/बीयॅर/वाईन इत्यादि पर न्यूनतम 70 मि0मी0 x 35 मि0मी0 साईज का सफेद रंग का स्टीकर चस्पा किया जायेगा, जिसपर निर्देश शासनादेश संख्याः 434/दिनांकः 19.04.2001 के अनुसार निर्देश मुद्रित किये जायेंगे।

27.5 आपूर्तक इकाई आपूर्ति किये जाने वाले ब्रॉण्डस के लेबिल विभागीय वैबसाईट पर स्वप्रमाणित कर अपलोड करेंगे। लेबिल के नियमानुसार न पाये जाने पर सम्बन्धित के विरूद्ध नियमानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

27.6 भविष्य में अनुमोदित कराये जाने वाले मदिरा के लेबिल पर आबकारी नियमों में दी गयी व्यवस्था के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना भी अनिवार्य होगा।

27.7 पर्वतीय क्षेत्रों में निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से पर्वतीय क्षेत्र मे स्थापित बॉटलिंग ईकाई एवं माइक्रो डिस्टीलेशन ईकाई को अपने परिसर के साथ–साथ व्यवसायिक सुगमता हेतु मैदानी क्षेत्रों में एफएल–1 लाइसेंस आबकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत किया जाएगा, जिसके लिए प्रतिवर्ष 50 हजार रुपये अतिरिक्त अनुज्ञापन शुल्क देय होगा तथा 10 रुपये प्रति पेटी की दर से भण्डारण शुल्क देय होगा।

28 जिलों में दुकान का स्थान, स्थिति व नई दुकानों का सृजन एवं दुकानों का स्थानान्तरणः–

28.1 जनपद को बिन्दु संख्या–1.1 में दिये राजस्व लक्ष्य के सापेक्ष सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/जिला आबकारी अधिकारी को राजस्व हित में जनपद में दुकानों की संख्या निर्धारित करने एवं नई दुकान सृजित करने तथा उनका राजस्व निर्धारित करने का अधिकार होगा।

28.2 खुदरा दुकान की अवस्थिति (लोकेशन) उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) एवं समय–समय पर शासन/आबकारी आयुक्त द्वारा जारी नियमों/निर्देशों के अनुसार रखी जायेगी। उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या और स्थिति नियमावली, 1968 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) के प्राविधानानुसार अंतरजनपदीय सीमा के 05 किमी के भीतर, बिना दोनों जनपदों के कलेक्टर के सहमति के मदिरा की खुदरा दुकान का अनुज्ञापन अनुमन्य नहीं होने का प्राविधान समाप्त होगा अर्थात जिलाधिकारी/लाइसेंसिंग प्राधिकारी अपने जनपद में कही भी मदिरा दुकान खोल सकेंगे।

28.3 मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या–12164–12166 ऑफ 2016 "स्टेट ऑफ तमिलनाडु बनाम के0 बालू एण्ड ए0एन0आर0" में दिनांकः 15.12.2016 एवं 31.03.2017, एस0एल0पी0 सिविल संख्याः 10243 ऑफ 2017 Arrive Safe Society of Chandigarh Verses The Union Territory of Chandigarh & ANR में पारित निर्णय दिनांकः 11.07.2017 तथा M.A. Nos. 470-472/2017/in Civil Appeal No (s). 12164-12166/2016 /State Of Tamil Nadu &Others Vs K. Balu & Others/dt.11.08.2017 में पारित निर्णय के आलोक मे दुकानों की स्थिति निर्धारित की जायेगी। यहाँ यह भी उल्लिखित किया जाता है कि राज्य में हरिद्वार तथा ऋषिकेश नगर निगम/नगर निकायों के पुनर्सीमाकन के फलस्वरूप उक्त नगरों में मद्यनिषेध क्षेत्र पूर्व में निर्धारित मद्यनिषेध क्षेत्र के अनुसार ही रहेगा।

28.4 **किसी मदिरा दुकान को बन्द/स्थानान्तरित करनाः–**

28.4 (a) जिलों में देशी एवं विदेषी मदिरा की पुरानी दुकानों को बन्द करने के सम्बन्ध में भी जिलाधिकारियों को जिले की आवश्यकतानुसार स्वविवेकानुसार निर्णय लेने हेतु अधिकृत किया जाता है; परन्तु यह सुनिश्चित किया जाएगा कि ऐसी स्थिति में न तो सम्बन्धित जिलों का आवंटित राजस्व कम होगा और न ही कोई क्षेत्र दुकान रहित होगा।

28.4 (b) यदि जिले की सीमान्तर्गत कोई मदिरा की दुकान किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर नियम संगत रूप से आबकारी अधिनियम, मदिरा दुकानों की संख्या व स्थिति नियमावली 1968 तथा तत्सम्बन्ध में जारी शासनादेशों के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया जाना अपेक्षित हो, तो इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी स्वतत्र रूप से अपने स्तर से निर्णय ले

सकेंगे, परन्तु निर्णय लेने से पूर्व जिलाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे की मदिरा दुकान के स्थानान्तरण से जनपद की किसी अन्य निकटवर्ती मदिरा की दुकान के राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तथा कोई क्षेत्र दुकान रहित क्षेत्र न होने पाये।

जिलाधिकारी के उक्त आदेश से प्रभावित कोई व्यक्ति आबकारी अधिनियम की धारा–11 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत नियमानुसार अपील योजित कर सकता है। अंतरजनपदीय सीमा पर अवस्थित मदिरा दुकानों की स्थिति सम्बन्धित उत्पन्न किसी भी विवाद का निस्तारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेंगा।

29. **<u>मदिरा दुकानों से देशी/विदेशी मदिरा/बीयर व वाईन की खुदरा बिक्री की सीमा</u>**–

देशी/विदेशी तथा बीयर की खुदरा दुकानों से मदिरा/बीयर/वाईन की खुदरा बिक्री की अधिकतम सीमा (स्वंय के वास्तविक उपभोग हेतु) निम्नानुसार निर्धारित की जाती है:–

क्र०सं०	मदिरा का प्रकार	मात्रा ब0ली0 में
01	भारत निर्मित विदेशी मदिरा	09 ब0ली0
02	ओवरसीज मदिरा	09 ब0ली0
03	वाईन	09 ब0ली0
04	बीयॅर	07.80 ब0ली0
05	देशी मदिरा	06 ब0ली0

30. **<u>Track and Trace प्रणाली</u>**

राज्य में मदिरा के व्यवसाय पर प्रभावी नियन्त्रण व पारदर्शिता रखने के लिए सम्पूर्ण प्रणाली को Track and Trace आधारित किया जायेगा। इस पद्धति को लागू करने का उद्देश्य निर्माता ईकाई/आसवनी/बॉटलिंग ईकाई से प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर थोक मदिरा अनुज्ञापनों से लेकर फुटकर अनुज्ञापनों तक मदिरा के संचरण/परिवहन को विनियमित करने एवं व्यापक निगरानी करने, वास्तविक समय के आधार पर अल्कोहॉलिक उत्पादों के उत्पादन और आपूर्ति पर व अंतिम रूप से मदिरा दुकानों में बिक्री करने तक निगरानी व्यवस्था से है। इसके लिये सी0सी0टी0वी, बार कोड स्कैनर, जी0पी0एस0 एवं होलोग्राम की व्यवस्था को अधिक सशक्त एवं अनिवार्य किया जायेगा।

31. होलोग्राम सम्बन्धित आपूर्तक आसवनी के स्तर पर भी लगाये जा सकेंगे। बी0आई0ओ0 ब्राण्ड पर होलोग्राम सम्बन्धित प्रभारी आबकारी निरीक्षक के सम्मुख लगाये जायेंगे।

32. मदिरा के उपभोग के लिए न्यूनतम 21 वर्ष की आयु सीमा निर्धारित की जाती है।

33. प्रत्येक आसवनी, ब्रुवरी, बॉटलिंग प्लाण्ट, विन्टनरी, थोक अनुज्ञापन (एफ0एल0–2) बॉण्ड अनुज्ञापन (बी0डब्लू0एफ0एल0–2), बार अनुज्ञापन तथा मदिरा की खुदरा दुकानों में IP-Address युक्त CCTV कैमरा लगाने की व्यवस्था की जानी अनिवार्य है, जिससे सम्बन्धित अनुज्ञापन की समस्त गतिविधि पर आयुक्तालय स्थित कन्ट्रोल रूम से नियन्त्रण रखा जा सकेगा।

34. माह अप्रैल, मई व जून में मदिरा के खुदरा अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है, तो वह आगामी माहों (माह जुलाई, अगस्त व सितम्बर में से किसी भी माह का) का उठान निर्धारित धनराशि जमा कर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। इसी प्रकार माह अक्टूबर, नवम्बर में मदिरा के खुदरा अनुज्ञापी को माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता पड़ती है तो वह आगामी माहों माह जनवरी, फरवरी का उठान निर्धारित धनराशि जमा होने पर अग्रिम रूप से प्राप्त कर सकता है। माह दिसंबर में अतिरिक्त कोटे की आवश्यकता होने पर अनुज्ञापी नकद जमा प्रतिभूति (माह मार्च के अधिभार के रूप में जमा) सापेक्ष अतिरिक्त कोटा प्राप्त कर सकेगा।

नोट–उपरोक्तानुसार माह में निर्धारित मासिक एम0जी0डी0 का अधिकतम 25% तक आगामी किसी भी एक माह का कोटा पूर्व में उठाया जा सकता है।

मदिरा के अग्रिम उठान कर लिये जाने के कारण किसी माह में बिक्री हेतु अतिरिक्त मदिरा की आवश्यकता होती है तो सम्बन्धित माह में अनुज्ञापी को अतिरिक्त राजस्व जमा कर मदिरा का उठान करना होगा।

35. **सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा एवं विशेष कारणों से न्यूनतम ड्यूटी में छूटः–**

अनुज्ञापन की अवधि में सामाजिक, राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप या प्राकृतिक आपदा आगजनी/बाढ़/भूकंप, आधारभूत संरचना विकास संबंधित निर्माण कार्य के कारण अवरोध एवं परिस्थितजन्य स्थितियों के कारण खुदरा मदिरा दुकान के व्यवसाय पर पड़े प्रतिकूल प्रभाव के कारण, यदि सम्बन्धित अनुज्ञापी तत्समय की अवधि की न्यूनतम गारण्टेड अभिकर की देय धनराशि का भुगतान नहीं कर पाता है तो उक्त अवधि की देय न्यूनतम गारण्टेड अभिकर की धनराशि पर छूट दिये जाने के सम्बन्ध में जिला आबकारी अधिकारी/जिलाधिकारी की आख्या पर आबकारी आयुक्त द्वारा छूट दिए जाने का निर्णय लिया जाएगा।

36. मदिरा परिवहन करने वाले समस्त वाहनों को GPS/GPRS प्रणाली से संयोजित करना अनिवार्य होगा।

37. **वर्ष के दौरान आबकारी नीति में आने वाली व्यवहारिक कठिनाइयों के निराकरण के संबंध में–**

आबकारी नीति की मा० मंत्रिपरिषद से स्वीकृति के उपरांत क्रियान्वयन किए जाने पर यदा कदा कतिपय व्यवहारिक कठिनाईयां उत्पन्न होती है इन कठिनाइयों के समाधान एवं प्रक्रिया के सरलीकरण की व्यवस्था के लिए आबकारी नीति में सामयिक, व्यवहारिक, विधिक दृष्टि से किसी परिवर्तन हेतु आबकारी आयुक्त से प्राप्त संस्तुत प्रकरणों पर गुणावगुण के आधार पर विचार कर प्रकरण मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जाता है, जिसमें प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त एवं न्याय, प्रमुख सचिव/सचिव, आबकारी सदस्य तथा आबाकारी आयुक्त सदस्य–सचिव होंगे। राज्य

हित में उक्त समिति प्रस्तुत प्रस्तावों पर प्रस्ताव प्राप्त होने की तिथि से एक सप्ताह के भीतर निर्णय लेकर समिति की संस्तुति पर अन्तिम निर्णय हेतु मा0 आबकारी मंत्री जी के माध्यम से मा0 मुख्यमंत्री जी को प्रस्तुत किया जायेगा।

38. एफएल 16/17 का अनुज्ञापन शुल्क रू0 1000/–निर्धारित किया जाता है।

39. एन0डी0एल0सी0 अनुज्ञापन शुल्क रू0 1000/– किया जाता है।

40. अन्य देशो से आयातित विदेशी मदिरा पर रू0 100/– प्रति बल्क लीटर तथा बीयर/वाईन एवं कम तीव्रता की पेय (एल0ए0बी) पेय रू0 30/– प्रति बल्क लीटर परमिट शुल्क देय होगा।

41. एफ0एल0–40 का अनुज्ञापन शुल्क 500/– किया जाता है।

42. उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली–2024–25 के नियम इससे पूर्व बनायी गयी किसी अन्य नियमावली में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी प्रभावी होंगे।

43. एक्स आसवनी मूल्य रुपये 400.00 से कम की विदेशी मदिरा की भराई/ मैनुफैक्चरिंग उत्तराखण्ड राज्य में निर्माता ईकाईयों को करना अनिवार्य होगा, इसके लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 की प्रथम तिमाही तक छूट प्रदान की जाएगी। प्रदेश आबकारी राजस्वहित में एवं राज्य के औद्योगिकीकरण एवं निवेश के दृष्टिगत आर्थिक प्रगति के लिए निर्माता ईकाईयों को आधारभूत संरचना के लिए यथासंभव सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निर्धारित समय तक बॉटलिंग की सुविधा ईकाई द्वारा विकसित नहीं कर पाने की दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा अतिरिक्त समय की छूट प्रदान की जा सकेगी। पर्वतीय क्षेत्रों में विदेशी मदिरा के उक्त आसवनी मूल्य तक भराई किए जाने की दशा में स्थानीय रोजगार में वृद्धि के दृष्टिगत आबकारी आयुक्त द्वारा संबंधित ईकाई को विशेष छूट दिए जाने की अनुशंसा करने पर शासन द्वारा विशेष छूट दी जाएगी।

44. संयुक्त प्रान्त आबकारी अधिनियम, 1910 (संयुक्त प्रान्त अधिनियम संख्या 4 सन् 1910) की धारा 10 और 74 के अधीन उक्त अधिनियम की धारा 74(1)(क) के अधीन सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी की श्रेणी से अन्यून श्रेणी के अधिकारियों को, कोई अपराध, जहाँ अन्तर्ग्रस्त मादक द्रव्यों (स्वापक औषधियों को छोड़कर) की परिमाण पचास लीटर मदिरा से अनाधिक हो, को प्रशमन फीस के रूप में ऐसी धनराशि का संदाय किये जाने पर प्रशमित करने के लिये अधिकार प्रदान किया जाता है, जो अवैध शराब के सम्बन्ध में पाँच सौ रूपये प्रति लीटर से कम नहीं होगी अथवा न्यूनतम 5000 रुपये प्रशमन शुल्क जो भी अधिक हो प्रति अभियोग आरोपित किया जाएगा।

45. नए अन्वेषण, तकनीक, रेगुलर साइज़ के अतिरिक्त नए पैक साइज़, नए मैटेरियल, 42.8 प्रतिशत v/v तीव्रता के अतिरिक्त 16 प्रतिशत v/v से लेकर 65 प्रतिशत v/v तीव्रता की

विदेशी मदिरा के उत्पादन, स्थानीय बिक्री एवं निर्यात की अनुमति दी जाती है।

46. थोक एवं खुदरा अनुज्ञापनों, आसवानियों व बॉटलिंग ईकाई के संचालन में व्यवहारिक कठिनाई आती है और इसके सम्बन्ध में आबकारी नीति विषयक नियमावली या अन्य सुसंगत नियमावली में प्राविधान नहीं है तब ऐसी दशा में आबकारी आयुक्त द्वारा प्रदेश के राजस्वहित में निर्णय लिया जा सकेगा।

47. उत्तराखण्ड राज्य की शीरा नीति का प्रख्यापन पृथक रूप से आबकारी आयुक्त/शीरा नियंत्रक उत्तराखण्ड की अध्यक्षता मे गठित समिति की संस्तुति पर शासन द्वारा किया जाएगा।

48. मेट्रो मदिरा की आपूर्ति गढ़वाल मण्डल के 5 जनपदों यथा– उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, पौड़ी व चमोली की फुटकर विदेशी मदिरा दुकानों में बिक्री की जा सकेगी जिसकी तीव्रता 40% v/v होगी, मेट्रो मदिरा की आपूर्ति दर, देय एमजीडी, एक्साइज ड्यूटी एवं अन्य राजस्व तथा मेट्रो मदिरा से संबंधित थोक अनुज्ञापन की व्यवस्था आबकारी आयुक्त द्वारा 31 मार्च 2024 से पूर्व निर्धारित किए जाएंगे। यह मदिरा ई०एन०ए० से निर्मित फलों एवं वनस्पतियों के स्वाद से युक्त उच्च गुणवत्तायुक स्प्रिट से प्रदेश की आसवनियों में निर्मित की जाएगी।

49. खुदरा मदिरा दुकानों के अनुज्ञापन का समर्पण संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित उत्तराखण्ड राज्य) की धारा 36 के अंतर्गत किए जाने की दशा में अनुज्ञापी द्वारा समर्पण आवेदन के साथ समर्पण की तिथि तक राजस्व देयता की धनराशि जमा करने के शपथ पत्र के साथ लाइसेंस प्राधिकारी के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी द्वारा निर्धारित देयता की धनराशि का उल्लेख किया जाएगा, ऐसी दशा में किसी अनुज्ञापन का समर्पण का आवेदन पूर्ण माना जाएगा। उक्त के अतिरिक्त अधिनियम के सुसंगत प्राविधान के तहत कार्यवाही की जाएगी तथा समर्पण के संबंध में पूर्व से लागू अन्य सुसंगत नियमावली के प्राविधान यथावत लागू होंगे। समर्पण के आवेदन की स्वीकृति/अस्वीकृति के संबंध में जिलाधिकारी/लाइसेंस प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा।

50. <u>**नशे के दुष्प्रभाव एवं रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग संबंध में प्रचार–प्रसार हेतु बजट का प्राविधानः–**</u> नशे के दुष्प्रभाव एवं संयमित मदिरा के सेवन के संबंध में आमजन को जानकारी व विस्तृत प्रचार के माध्यम से जागरूकता लाने के लिए रिस्पॉन्सिबल ड्रिंकिंग पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इस अभियान हेतु रुपये 1 करोड़ का बजट निर्धारित किया जाता है।

51. विभाग के सुदृढ़ीकरण, कार्मिकों को ट्रेनिंग एवं विभाग के मानव संसाधन को नई तकनीकी के अनुरूप प्रशिक्षित किए जाने हेतु रुपये 1.25 करोड़ का बजट निर्धारित किया जाता है।

52. प्रदेश में अवैध शराब के विरुद्ध प्रभावी नियंत्रण एवं प्रवर्तन कार्य के लिए सूचना तंत्र/मुखबिरी को मजबूत किए जाने हेतु रुपये 1.5 करोड़ के बजट को निर्धारित किया जाता है।

53. आबकारी नीति विषयक 2023 के अन्य नियम यथावत रहेंगे एवं अन्य सुसंगत प्रविधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत रहेंगे।

(एल0फैनई)
प्रमुख सचिव

संख्या 148 (1)/XXIII-1/2024–04(01)/2024 तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन को मुख्यमंत्री जी के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ
3. आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. आयुक्त, गढवाल मण्डल, पौडी एवं कुमायू मण्डल, नैनीताल।
5. आयुक्त, वाणिज्य कर विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिला आबकारी अधिकारी उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी, जनापद–हरिद्वार को अधिसूचना की प्रति इस आशय से संलग्न कर प्रेषित कि कृपया उक्त का प्रकाशन असाधारण गजट में मुद्रित कराते हुए इसकी 50 प्रतियां, प्रमुख सचिव, आबकारी, उत्तराखण्ड शासन, 4 सुभाष रोड, देहरादून तथा 50 प्रतियां कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तराखण्ड 15/1 गांधी रोड, देहरादून को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना सार्वजनिक किये जाने हेतु शासकीय वेबसाईट में आज ही प्रदर्शित कराने का कष्ट करे।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
21.02.24.
(मुकेश कुमार राय)
उप सचिव